रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2000/आषाढ़ 1, 1922
No. 414] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2000/ASHADHA 1, 1922

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2000

का. आ. 587(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त स्कीम " कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :—

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण)संशोधन स्कीम, 2000 है।

(2) इस स्कीम के उपबंध, इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 1 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) इस स्कीम के उपबंध ऐसे अधिकारियों को, जो 1-8-1997 को निगम या कंपनी की सेवा में थे, लागू होंगे :

परन्तु ऐसे अधिकारी 1-8-1997 से इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक की अवधि के दौरान जिनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है, या जिनकी सेवा का, पर्यवसान कर दिया गया है, पुनरीक्षण के कारण बकाये के पात्र नहीं होंगे।

2. उक्त स्कीम के,

(i) पैरा 4 में, उपपैरा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(8) प्रत्येक अधिकारी का वेतन और भत्ते दसवीं अनुसूची के अनुसार होंगे :

परन्तु कोई अधिकारी यह चयन कर सकेगा कि उसका मूल वेतन, किसी ऐसी तारीख से दसवीं अनुसूची के निबंधनों के अनुसार नियत किया जाए, जो इस स्कीम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्वतर न हो और इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पश्चात् की न हो, ऐसी दशा में, वह ऐसे चयन की सूचना लिखित रूप में ऐसी अवधि के भीतर, जो निगम के प्रबंध निदेशक या कंपनी के अध्यक्ष-सह को प्रबंध निदेशक द्वारा विहित की जाए, निगम या कंपनी को देगा :

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी को, चयन की गई तारीख से पहले की अवधि के लिए कोई बकाया संदेय नहीं होगा";

(ii) पैरा 8क के स्थान पर निम्नलिखित पैरा इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"8क. कार्य अभिलेख संतोषप्रद पाये जाने के अधीन रहते हुए,

(क) सहायक प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में के किसी ऐसे अधिकारी को, जो उसको लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात्, सेवा के प्रत्येक पूरे तीन वर्षों के लिए, वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा पूरी होने पर अगामी मास की 1 तारीख को या अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगामी मास की 1 तारीख को, जो भी बाद की हो, दी जा सकेगी।

(ख) प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में के किसी ऐसे अधिकारी को, जो उसको लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच गया है, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात्, सेवा के प्रत्येक पूरे तीन वर्षों के लिए, वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि, अधिकतम ऐसी तीन वेतन वृद्धियों के अधीन रहते हुए, दी जा सकेगी :

परन्तु कोई अधिकारी, यथास्थिति, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् तीन वर्ष पूरे होने पर आगामी मास की 1 तारीख से पहले या ऐसी अतिरिक्त वेतनवृद्धि (वृद्धियां) लेने के पश्चात्, ऐसी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह और कि कोई अधिकारी, इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से आगामी मास की 1 तारीख से पूर्व तीसरी ऐसी अतिरिक्त वेतनवृद्धि का हकदार नहीं होगा।

(ग) सहायक प्रबन्धक के वेतनमान के किसी ऐसे अधिकारी को, जो उसको लागू वेतनमान के अधिकतम पर पंहुच गया है ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात्, सेवा के प्रत्येक पूरे तीन वर्षों के लिए, वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि, ऐसे अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा पूरी होने पर आगामी मास की 1 तारीख को या इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगामी मास की । तारीख को, जो भी बाद की हो, दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए सेवा से ड्यूटी की अवधि अभिप्रेत है जिसमें आसाधारण छुट्टी की अवधि/अवधियां सम्मिलित नहीं है।"

(iii) पैरा 9 के स्पष्टीकरण में उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii)(क) अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की दशा में नौवीं अनुसूची के अनुसार 1 जनवरी, 1996 से आरंभ होने वाली अवधि;

(ख) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक से भिन्न अधिकारियों की दशा में दसवीं अनुसूची के अनुसार 1 अगस्त, 1997 से आरंभ होने वाली अवधि। ";

(iv) पैरा 10 में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(v) नौवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"दसवीं अनुसूची

[पैरा 4 का उप पैरा (8) देखिए]

1. वेतन मान (मूल बेतन)

(1) महा प्रबंधक

21200-550 (2) 22300-600 (1) 22900-700 (1) 23600 रु.

(2) सहायक महा प्रबंधक

19000-550 (4) 21200 रु.

(3) प्रबंधक

17150-450 (3) 18500-500 (1) 19000 रु.

(4) उप प्रबंधक

14735-360 (1) 15095-385 (3) 16250 - 450 (2) 17150 रु.

(5) सहायक प्रबंधक

12215-360 (8) 15095-385 (3) 16250 रु.

(6) प्रशासनिक अधिकारी

10055-360 (13) 14735 रु.

(7) सहायक प्रशासनिक अधिकारी

7535-360 (18)-14015 रु.

11. मूल वेतन का नियतन

सारणी

अनुक्रम सं.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी		सहायक प्रबंधक		उप प्रबंधक		प्रबंधक		सहायक महा प्रबंधक		महा प्रबंधक	
	विद्यमान मू. वेतन	पुनरीक्षित मू. वेतन	वि. मू. वे.	पून. मू. वे.	वि. मू. वे.	पून. मू. वे.	वि. मू. वे.	पून. मू. वे.	वि. मू. वे.	पून. मू. वे.	वि. मू. वे.	पून. मू. वे.	वि. मू. वे.	पून. मू. वे.
1.	4250	7535	5980	10055	7360	12215	8970	14735	10450	17150	11450	19000	12650	21200
2.	4480	7895	6210	10415	7590	12575	9200	15095	10700	17600	11750	19550	12950	21750
3.	4710	8255	6440	10775	7820	12935	9450	15480	10950	18050	12050	20100	13250	22300
4.	4940	8615	6670	11135	8050	13295	9700	15865	11200	18500	12350	20650	13600	22900
5.	5290	8975	6900	11495	8280	13655	9950	16250	11450	19000	12650	21200	14000	23600
6.	5520	9335	7130	11855	8510	14015	10200	16700						
7.	5750	9695	7360	12215	8740	14375	10450	17150						
8.	5980	10055	7590	12575	8970	14735								
9.	6210	10415	7820	12935	9200	15095								
10.	6440	10775	8050	13295	9450	15480								
11.	6670	11135	8280	13655	9700	15865								
12.	6900	11495	8510	14015	9950	16250								
13.	7130	11855	8740	14375										
14.	7360	12215	8970	14735										
15.	7590	12575												
16.	7820	12935												
17.	8050	13295												
18.	8280	13655												
19.	8510	14015												

टिप्पण : उपरोक्त सारणी में विद्यमान मूल वेतन पद से आठवीं अनुसूची के अनुसरण में यथा लागू मूल वेतन अभिप्रेत है।

3. मंहगाई भत्ता :

(1) अधिकारियों को लागू मंहगाई भत्ते का मान निम्नलिखित रूप में आधारित किया जाएगा :—

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता औसत मूल्य सूचकांक।

आधार : 1960 = 100 की श्रृंखला में सूचकांक संख्यांक 1740।

मंहगाई भत्ते की दर : 1740 अंकों से ऊपर त्रैमासिक औसत में चार अंकों की प्रत्येक वृद्धि के लिए मंहगाई भत्ते की संगणना मूल वेतन के 0.23 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण : मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण, त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या कमी के लिए किया जाएगा।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता औसत मूल्य सूचकांक में 1740 अंकों से ऊपर त्रैमासिक आधार (जिसे इसमें इसके पश्चात् चालू औसत आंकड़ा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) पर 1740=1744=1748=1752 इत्यादि की श्रृंखला में प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि के लिए, संदेय मंहगाई भत्ते का ऊपर की ओर पुनरीक्षण होगा और यदि चालू औसत आंकड़ा ऊपर उस श्रृंखला के, जिसके प्रतिनिर्देश में अंतिम पूर्ववर्ती तिमाही के लिए मंहगाई भत्ता संदत्त किया गया है, सूचकांक में, चार अंक की कमी होती है तो मंहगाई भत्ते का नीचे की ओर पुनरीक्षण होगा। नीचे की ओर पुनरीक्षण पर, यदि ऐसा चालू औसत आंकड़ा ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक है तो, संदेय मंहगाई भत्ता उस चालू औसत आंकड़े के समरूप होगा और यदि ऐसा चालू औसत आंकड़ा ऊपर श्रृंखला में का कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता ऊपर श्रृंखला में के उस अंक के समरूप होगा जो चालू औसत आंकड़े से ठीक पहले है।

(3) इंडियन लेबर जर्नल या भारत का राजपत्र, इनमें से जो भी प्रकाशन पहले उपलब्ध हो, में यथाप्रकाशित अंतिम सूचकांक, वह सूचकांक होगा जिसे महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा।

(4) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत आंकड़े में परिवर्तनों के तत्समान महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण, केवल तिमाही की समाप्ति के आगामी दूसरे उत्तरवर्ती मास से प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजनों के लिए "तिमाही" से मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है।

(5) मकान किराया भत्ता :

(1) 1 अगस्त, 1997 से अधिकारियों को संदेय मकान किराया भत्ता नीचे सारणी में दिखाए गए अनुसार होगा :

सारणी

तैनाती का स्थान	प्रतिमास दर
(क) मुम्बई, नवी मुम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और चेन्नई शहर	अधिकतम 1200 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 11 प्रतिशत
(ख) (क) में वर्णित शहरों को छोड़कर 12 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, गांधी नगर, गोवा राज्य के सभी शहर	अधिकतम 1000 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 9 प्रतिशत
(ग) अन्य सभी स्थान	अधिकतम 950 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 8 प्रतिशत

टिप्पण : (1) इस मद के प्रयोजन के लिए आबादी के आंकड़े वे होंगे जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हों।

(2) शहरों में उनकी शहरी बस्तियां भी सम्मिलित होंगी।

(3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 8 (क) के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(2) ऐसे अधिकारी जिन्हें निगम या कंपनी द्वारा निवास स्थान आबंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे, जिसे समय-समय पर निगम या कंपनी द्वारा विनिश्चित किया जाए और वे इस मद के उप मद (1) के निबंधनों के अनुसार मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

5. नगर प्रतिकर भत्ता : 1 अगस्त, 1997 से अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्नलिखित अनुसार होगा :-

तैनाती का स्थान	दर
(क) मुम्बई, नवी मुम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और चेन्नई शहर	अधिकतम 375 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 4 प्रतिशत
(ख) ऊपर (क) में वर्णित शहरों को छोड़कर 12 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, गांधी नगर, गोवा राज्य के सभी शहर	अधिकतम 350 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 3 प्रतिशत
(ग) ऐसे शहर जिनकी आबादी 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से कम है, राज्यों की 12 लाख से अधिक आबादी वाली राजधानियां, चण्डीगढ़, मोहाली, पंचकुला, पाण्डिचेरी, पोर्टब्लेयर	अधिकतम 250 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5 प्रतिशत

टिप्पण : (1) इस मद के प्रयोजन के लिए आबादी के आंकड़े वे होंगे जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हों।

(2) शहरों में उनकी शहरी बस्तियां भी सम्मिलित होंगी।

(3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 8 (क) के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धियां अभिप्रेत हैं।

6. पर्वतीय स्थान भत्ता :—स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुगामी मास की पहली तारीख से अधिकारियों को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ता निम्नलिखित होगा :

तैनाती के स्थान की ऊचाई (मध्य समुद्र तल से ऊपर)	दर
(i) 1500 मीटर और अधिक	अधिकतम 216 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 3 प्रतिशत
(ii) 1000 मीटर और अधिक किन्तु 1500 मीटर से अनधिक, मर्करा और ऐसे स्थान जिन्हें केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से पर्वतीय स्थान घोषित किया गया है।	अधिकतम 180 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत
(iii) 750 मीटर से अन्यून और 1000 मीटर और अधिक की ऊँचाई वाले पर्वतों से घिरे और उनके माध्यम से पहुंच जा सकने वाले स्थान।	अधिकतम 180 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत

7. किट भता :

प्रत्येक अधिकारी को, किसी ऐसे पर्वतीय स्थान पर उसका स्थानतरण होने पर, जिसके लिए इस अनुसूची के मद 6 के निबंधनों के अनुसार पर्वतीय स्थान भत्ता संदेय है, दो हजार रुपए किट भत्ते का संदाय किया जाएगा :

परन्तु यदि उस अधिकारी ने ऐसा भत्ता पहले किसी समय लिया है, तो उसे किट भत्ते का संदाय नहीं किया जाएगा।

8. ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने कम्प्यूटरीकरण के कारण 1-11-93 से प्रभावी वेतनवृद्धि प्राप्त की है, नियत वैयक्तिक भता :

अधिकारियों को आठवीं अनुसूची के मद 8 के अनुसार संदेय नियत वैयक्तिक भत्ता, 1 अगस्त, 1997 से नीचे दी गई सारणी में दिखाए गए अनुसार पुनरीक्षित होगा।

सारणी

निम्नलिखित के वेतनमान में अधिकारी	आठवीं अनुसूची के मद 8 के अनुसार पुनरीक्षण पूर्व नियत वैयक्तिक भत्ता	पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता (नि. वै.भ.)
(1)	(2)	(3)
	रु.	रु.
महा प्रबन्धक	400	700
सहायक महा प्रबन्धक	300	550
प्रबन्धक	250	500
उप प्रबन्धक	250	450
सहयक प्रबन्धक	250	385
प्रशासनिक अधिकारी	230	360
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	230	360

पुनरीक्षित नियम वैयक्तिक भत्ता, महंगाई भत्ते और मकान किराया भत्ता के लिए अर्हित नहीं होगी। तथापि, अपर सारणी के स्तंभ (3) में उपदर्शित नियत वैयक्तिक भत्ते का पुनरीक्षण-पूर्व वेतनवृद्धि घटक, भविष्य निधि और पेंशन के लिए गणना में लिया जाएगा और उक्त वेतनवृद्धि घटक, उस पर 1-11-1993 को, महंगाई भत्ते सहित, उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए गणना में लिया जाएगा

9. ऐसे अधिकारी, जो 1-11-1993 के पश्चात् किन्तु इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से पूर्व निगम या कंपनी की सेवा में आएं हैं, कम्प्यूटरीकरण के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धि नियत वैयक्तिक भत्ता।

(1) ऐसे सभी पुष्ट अधिकारियों को, जो 01-11-1993 को या उसके पश्चात्, किन्तु इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से पूर्व निगम या कंपनी की सेवा में आए हैं, कम्प्यूटरीकरण के कारण, इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से आगामी मास की एक तारीख से, ऐसे वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का संदाय किया जाएगा, जो संबंधित अधिकारी को इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को लागू हो :

परन्तु ऐसे किसी अधिकारी को, जो निगम या कंपनी की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर, इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को या उससे पूर्व परिवीक्षा पर था, उसके पुष्टिकरण की तारीख के पश्चात् सेवा में 365/366 दिन पूरे होने पर एक वेतनवृद्धि का संदाय किया जाएगा :

परन्तु यह और कि किसी ऐसे अधिकारी को, ऐसी किसी वेतनवृद्धि का संदाय नहीं किया जाएगा, जो इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् निगम या कंपनी की सेवा में आया है।

(2) ऐसे किसी अधिकारी को, जो इस मद के उपमद (1) के अनुसार कम्प्युटरीकरण के कारण एक वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहा है और जो तत्पश्चात् उसे लागू वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंच गया है, वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुंचने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को उसे लागू वेतनमान में उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर रकम का नियत वैयक्तिक भत्ते का संदाय किया जाएगा :

परन्तु नियत वैयक्तिक भत्ता, महंगाई भत्ते या मकान किराए भत्ते के संदाय को अर्हित नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि नियत वैयक्ति भत्ते में से, प्रत्येक वेतनमान की बाबत नीचे दी गई सारणी के स्तभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट रकम की भविष्य निधि और पेंशन के लिए गणना की जाएगी और उक्त रकम की उस पर 1-11-1993 को महंगाई भत्ते सहित उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए गणना की जाएगी :

सारणी

निम्नलिखित वेतनमान के अधिकारी	वह रकम जो भविष्य निधि आदि के लिए गणना में ली जाएगी
(1)	(2)
	रु.
सहायक प्रबंधक	250
प्रशासनिक अधिकारी	230
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	230

10. सवारी भत्ता :

1 अगस्त, 1997 से, प्रत्येक ऐसे अधिकारी को, जो किसी भी सवारी स्कीम के अधीन कोई सवारी भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा है, 150 रु. (एक सौ पचास रुपए) प्रतिमास सवारी भत्ते का संदाय किया जाएगा।

11. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (उ.सं. ए. प्रो.) के बदले एक बार एकमुश्त संदाय :

ए. सं. एं प्रो. के बदले 1-8-1997 से 31-3-1999 की अवधि के लिए 1-8-1999 (पुनरीक्षण पूर्व) अधिकारियों के लिए साधारण बीमा उद्योग के मजदुरी बिल का 1.67% का एक बार एकमुश्त संदाय किया जाएगा।

12. उत्पादक्ता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (उ.सं. ए. प्रो.) स्कीम 1-8-1999 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए परिशिष्ट के अनुसार संदाय किया जाएगा।

[फा. सं. (14) बीमा-III/97 (vii)]

अजीत एम. शरण, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल स्कीम अधिसूचना सं. का.आ. 521(अ), तारीख 17-9-1975 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

इसे तत्पश्चात् अधिूचना सं. का. आ. 672(अ), तारीख 21-11-1975, का. आ. 389(अ), तारीख 1-6-1976, का.आ. 2445, तारीख 30-7-1997, का.आ. 1047, तारीख 29-3-1978, का. आ. 2110, तारीख 14-6-1978, का.आ. 3428, तारीख 16-11-1978, का.आ.———, तारीख 20-12-1978, का.आ. 470(अ), तारीख 15-10-1985, का.आ. 883(अ), तारीख 9-12-1985, का.आ. 442(अ), तारीख 27-4-1987, का.आ. 138(अ), तारीख 29.1-1988, का.आ. 782(अ), तारीख 22-8-1988, का.आ. 572(अ), तारीख 25-7-1989, का.आ. 751(अ), तारीख 1-10-1990, का.आ. 200(अ), तारीख 10-3-1992, का.आ. 81(अ), तारीख 2-2-1994, का.आ. 592(अ), तारीख 30-06-1995, का.आ. 521(अ), तारीख 10-07-1996, का.आ. 108(अ), तारीख 14-02-1997, का.आ. 168(अ), तारीख 5-3-1998, का.आ. 729(अ), तारीख 27-8-1998, का.आ. 695(अ), तारीख 30-08-1999 द्वारा संशोधित किया गया।

परिशिष्ट

उत्पादकता संबद्ध एक मुश्त प्रोत्साहन स्कीम (उ0स0ए0प्रो0 स्कीम)

(मद xii देखिए)

1. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 1-8-1997 (पुनरीक्षण पूर्व) को अधिकारियों के लिए, यथास्थिति, साधारण बीमा उद्योग या कंपनी या निगम के मजदूरी बिल पर आधारित होगा ।

2. पात्रता

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन को निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर मापा जाएगा :

क) नवीकरण सूचनाओं का जारी किया जाना - पात्रता के लिए पूर्वापेक्षा

समय सीमा में नवीकरण सूचनाओं का जारी किया जाना आज्ञापक होगा अर्थात् किसी विशिष्ट मास में समाप्त होने वाली पालिसियों की बाबत नवीकरण सूचनाएं पूर्व मास की 15 तारीख तक जारी की जानी हैं ।

ख) दावा समझौता अनुपात

दावा समझौता अनुपात से निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला गया अनुपात (दशमलव को छोड़कर संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा) अभिप्रेत है, अर्थात् :-

$$\frac{\text{वर्ष के दौरान सुलझाए गए दावे}}{\text{वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे + धन वर्ष के दौरान सूचित किए गए दावे}} \times 100$$

ग) प्रलेखीकरण अनुपात

प्रलेखीकरण अनुपात से निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला गया अनुपात (दशमलव को छोड़कर संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा) अभिप्रेत है, अर्थात् :-

$$\frac{\text{वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रलेख}}{\text{वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रलेख + धन वर्ष के दौरान जोड़े गए प्रलेख}} \times 100$$

घ) प्रबंधन व्यय अनुपात का नियंत्रण (प्र.व्य.अ.)

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन उस दशा में संदेय होगा जब किसी व्यष्टिक कंपनी के लिए प्रबंधन व्यय अनुपात, बीमा अधिनियम / बीमा नियम में विहित सीमाओं के भीतर है ।

स्पष्टीकरण– (1) उपधारा (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित पैरामीटर, पैरा 4.1 के भाग क के खड (क) के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की मंजूरी के लिए लागू होंगे ।

(2) पैरामीटर (घ), पैरा 4.1 के भाग क के खंड (ख) के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की मंजूरी के लिए लागू होगा ।

3 पैरामीटर (कार्य निष्पादन का आरंभिक स्तर और निर्देश चिन्ह स्तर) :

उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन परिभाषित पैरामीटरो में कार्य निष्पादन स्तर पर निर्भर करेगा । प्रत्येक पैरामीटर मे कार्य निष्पादन स्तर के दो तत्व होंगे (क) आरंभिक स्तर और (ख) निर्देश चिह्न स्तर ।

कार्य निष्पादन का आरंभिक स्तर पूर्ववर्ती वर्ष मे संबंधित कंपनियों के कार्य निष्पादन का वास्तविक स्तर होगा ।

निर्देश चिह्न स्तर, आरंभिक स्तर पर 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी :

परिशिष्ट

उत्पादकता संबद्ध एक मुश्त प्रोत्साहन स्कीम (उ0स0ए0प्रो0 स्कीम)

(मद xii देखिए)

1. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 1-8-1997 (पुनरीक्षण पूर्व) को अधिकारियों के लिए, यथास्थिति, साधारण बीमा उद्योग या कंपनी या निगम के मजदूरी बिल पर आधारित होगा ।

2. पात्रता

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन को निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर मापा जाएगा :

क) नवीकरण सूचनाओं का जारी किया जाना - पात्रता के लिए पूर्वापेक्षा

समय सीमा में नवीकरण सूचनाओं का जारी किया जाना आज्ञापक होगा अर्थात् किसी विशिष्ट मास में समाप्त होने वाली पालिसियों की बाबत नवीकरण सूचनाएं पूर्व मास की 15 तारीख तक जारी की जानी हैं ।

ख) दावा समझौता अनुपात

दावा समझौता अनुपात से निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला गया अनुपात (दशमलव को छोडकर निकटतम संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा) अभिप्रेत है, अर्थात् :-

$$\frac{\text{वर्ष के दौरान सुलझाए गए दावे}}{\text{वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे + धन वर्ष के दौरान सूचित किए गए दावे}} \times 100$$

ग) प्रलेखीकरण अनुपात

प्रलेखीकरण अनुपात से निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला गया अनुपात (दशमलव को छोडकर निकटतम संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा) अभिप्रेत है, अर्थात् :-

$$\frac{\text{वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रलेख}}{\text{वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रलेख + धन वर्ष के दौरान जोड़े गए प्रलेख}} \times 100$$

घ) प्रबंधन व्यय अनुपात का नियंत्रण (प्र.व्य.अ.)

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन उस दशा में संदेय होगा जब किसी व्यष्टिक कंपनी के लिए प्रबंधन व्यय अनुपात, बीमा अधिनियम / बीमा नियम में विहित सीमाओं के भीतर है ।

स्पष्टीकरण– (1) उपधारा (क), (ख) और (ग) मे उल्लिखित पैरामीटर, पैरा 4.1 के भाग क के खड (क) के अनुसार उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की मंजूरी के लिए लागू होगे ।

(2) पैरामीटर (घ), पैरा 4.1 के भाग क के खंड (ख) के अनुसार उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की मंजूरी के लिए लागू होगा ।

3 पैरामीटर (कार्य निष्पादन का आरंभिक स्तर और निर्देश चिन्ह स्तर) :

उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन परिभाषित पैरामीटरों मे कार्य निष्पादन स्तर पर निर्भर करेगा । प्रत्येक पैरामीटर मे कार्य निष्पादन स्तर के दो तत्व होंगे (क) आरंभिक स्तर और (ख) निर्देश चिह्न स्तर ।

कार्य निष्पादन का आरंभिक स्तर पूर्ववर्ती वर्ष मे संबंधित कंपनियो के कार्य निष्पादन का वास्तविक स्तर होगा ।

निर्देश चिह्न स्तर, आरंभिक स्तर पर 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी :

	(1.5% तक कमी)	
प्रक्रम II	19.5% से 19 % (0.5% तक कमी)	1.00%
प्रकम III	प्र0व्य0अ0 में 19% से न्यून कमी के लिए	0.50%

भाग ख के अधीन उ.सं.ए.प्रो. के संदाय के लिए कुल सीमा	3.00%
भाग क + भाग ख के अधीन उ.सं.ए प्रो. के संदाय के लिए कुल सीमा	6.00%

4.2.1 भाग ख के अधीन उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का संदाय, निष्पादन वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अर्जित सकल लाभ के अध्यधीन होगा ।

4.3 संदेय प्रोत्साहन की अधिकतम राशि 1.8.1997 (पुनरीक्षण पूर्व) को मजदूरी बिल का 6% होगी ।

स्पष्टीकरण- 1: प्रक्रम 1 पर, उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के संदाय का मान प्रबंधन व्यय अनुपात में हुई कमी के अनुपात में होगा उदाहरणार्थ यदि प्रबंधन व्यय अनुपात मे 0.5 प्रतिशत की कमी होती है तो 1-8-1997 को (पुनरीक्षण पूर्व) मजदूरी बिल के 0.5 प्रतिशत पर उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

(2) प्रक्रम 2 पर उ.सं.ए.प्रो. के संदाय का मान प्र.व्य, अ. में कमी के तत्समान 1:2 के अनुपात मे होगा । उदाहरणार्थ 19.5 प्रतिशत से नीचे प्र.व्य,अ. में प्रत्येक 0.10 की कमी के लिए संदेय उ सं ए प्रोत्साहन 1-8-1997 को (पुनरीक्षण पूर्व) मजदूरी बिल का 0.2 प्रतिशत होगा ।

(3) प्रबधन व्यय अनुपात की गणना मे, संदाय के वर्ष में संदत्त उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन शामिल किया जाएगा ।

5. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का संदाय :

उ0स0ए0प्रो0 का संदाय, संगत लेखा वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर विहित निर्देश चिह्न के प्रति निर्देश से कार्य निष्पादन की उपलब्धि के पश्चात् किया जाएगा ।

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का वितरण, प्रत्येक वर्ष वार्षिक तौर पर 1 अगस्त के पश्चात्, संपरीक्षित आकड़े उपलब्ध हो जाने पर एकमुश्त रूप में किया जाएगा ।

6. निगम/कंपनी, प्रत्येक पैरामीटर के अधीन निगम/कंपनी के कार्य निष्पादन स्तर को मापने के लिए, समुचित मोनीटर करने और रिपोर्ट करने की प्रणाली तैयार करेगी ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. केन्द्रीय सरकार ने भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी चार अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों के वेतनमान और सेवा की शर्तों के पुनरीक्षण का अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से अनुमोदन कर दिया है। तद्नुसार साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 का अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों से संशोधन किया जाता है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से, निगम या उसकी अनुषंगी कंपनियों के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2000

S.O. 587(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following scheme, to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 (hereinafter referred to as "the said scheme"), namely :-

1. **Short title, commencement and application ._**

(1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Amendment Scheme, 2000.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of this scheme shall be deemed to have come into force from 1st day of August, 1997.

(3) The provisions of this scheme shall be applicable to those officers who were in the service of the Corporation or Company as on 1.8.1997:

Provided that the Officers whose resignation had been accepted or whose services had been terminated during the period from 1.8.1997 and the date of publication of this scheme in the Official Gazette shall not be eligible for the arrears on account of revision.

2. In the said scheme,

(i) in paragraph 4, after sub-paragraph (7), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(8) The pay and allowances of every officer shall be in accordance with the Tenth Schedule:.

"Provided that the Officer may choose that his Basic Pay may be fixed in terms of the Tenth Schedule with effect

from any date not earlier than the date on which the said scheme comes into force and not later than the date of publication of this scheme in the Official Gazette, in which case he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company within such period as may be prescribed by the Managing Director of the Corporation or Chairman-cum-Managing Director of the Company:

Provided further that no arrears for the period prior to the date chosen shall be payable to such officer.";

(ii) for the paragraph 8A, the following paragraph shall be deemed to have been substituted from the date of publication of this scheme in the Official Gazette,namely:-

"8A Subject to the work record being found satisfactory,

a) an Officer in the scale of pay of Assistant Administrative Officer, who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an additional increment equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, from 1st day of the month following completion of three years service after reaching such maximum or the 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, whichever is later.

b) an Officer in the scale of pay of Administrative Officer, who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an additional increment equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, subject to the maximum of three such increments:

Provided that no officer shall be entitled to such additional increment before the 1st day of the month following completion

of three years after reaching maximum scale of pay or after drawing such additional increment/s, as the case may be:

Provided further that no officer shall be entitled to the third such additional increment before the 1st day of the month following the date of this scheme published in the Official Gazette.

c) an Officer in the scale of pay of Assistant Manager, who has reached the maximum of the scale of pay applicable to him, may be granted for every three completed years of service after reaching such maximum, an additional increment equal to the last increment drawn by him in the scale of pay, from 1st day of the month following completion of three years service after reaching such maximum or the 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette ,whichever is later.

Explanation : For the purpose of this paragraph, service means the period of duty excluding period/(s) of extraordinary leave.";

(iii) in paragraph 9,in the Explanation, after sub-clause (ii),the following shall be inserted, namely:-

"(iii) (a) in the case of Chairman, Managing Director and Chairman-cum-Managing Director, for the period commencing on 1st day of January, 1996, as per Ninth Schedule.

(b) in the case of officers other than Chairman, Managing Director and Chairman-cum-Managing Director, for the period commencing on 1st day of August, 1997, as per Tenth Schedule.";

(iv) in paragraph 10, the Explanation shall be omitted;

(v) after Ninth Schedule, the following Schedule shall be inserted, namely: -

" TENTH SCHEDULE

[See paragraph 4 sub-paragraph (8)]

I. Scales of Pay (Basic Pay):

(1) General Manager
Rs.21200-550 (2)-22300-600(1)-22900-700(1)-23600

(2) Assistant General Manager
Rs. 19000-550(4)-21200

(3) Manager
Rs. 17150-450(3)-18500-500(1)-19000

(4) Deputy Manager
Rs. 14735-360(1)-15095-385(3)-16250-450(2)17150

(5) Assistant Manager
Rs.12215-360(8)-15095-385(3)16250

(6) Administrative Officer
Rs. 10055-360(13)-14735

(7) Assistant Administrative Officer
Rs. 7535-360(18)-14015

II. Fixation of the Basic Pay

TABLE

Stg No.	Assistant Administrative Officer		Administrative Officer		Assistant Manager		Deputy Manager		Manager		Assistant General Manager		General Manager	
	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
1	4250	7535	5980	10055	7360	12215	8970	14735	10450	17150	11450	19000	12650	21200
2	4480	7895	6210	10415	7590	12575	9200	15095	10700	17600	11750	19550	12950	21750
3	4710	8255	6440	10775	7820	12935	9450	15480	10950	18050	12050	20100	13250	22300
4	4940	8615	6670	11135	8050	13295	9700	15865	11200	18500	12350	20650	13600	22900
5	5290	8975	6900	11495	8280	13655	9950	16250	11450	19000	12650	21200	14000	23600
6	5520	9335	7130	11855	8510	14015	10200	16700						
7	5750	9695	7360	12215	8740	14375	10450	17150						
8	5980	10055	7590	12575	8970	14735								
9	6210	10415	7820	12935	9200	15095								
10	6440	10775	8050	13295	9450	15480								
11.	6670	11135	8280	13655	9700	15865								
12	6900	11495	8510	14015	9950	16250								
13.	7130	11855	8740	14375										
14	7360	12215	8970	14735										
15	7590	12575												
16	7820	12935												
17	8050	13295												
18	8280	13655												
19	8510	14015												

Note: The term existing Basic Pay in the above table shall mean the Basic Pay as applicable in accordance with the Eighth Schedule.

III. Dearness Allowance:

(1)The scale of dearness allowance applicable to the Officers shall be determined as under: -

Index: All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers.

Base : Index No. 1740 in the series 1960 = 100.

Rate of dearness allowance: - For every 4 points in the quarterly average over 1740 points, the dearness allowance shall be calculated at the rate of **0.23%** of Basic Pay.

Revision of dearness allowance: - Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every 4 points rise or fall.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index above 1740 points in the sequence 1740-1744-1748-1752 and so on; and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence; and if such current average figure is not a figure in the above sequence, the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.

(3) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation: For the purposes of this item, quarter' shall mean a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December.

IV. House Rent Allowance

(1) With effect from 1st day of August,1997, the House Rent Allowance payable to Officers shall be as shown in the Table below:

Table

Place of posting	Rate per month
a) Cities of Mumbai, Navi Mumbai,Calcutta, New Delhi, Faridabad, Ghaziabad, NOIDA, Gurgaon, and Chennai	11% of pay subject to maximum of Rs.1200/- per month.
b) Cities with population exceeding 12 lacs except the cities mentioned at (a), Gandhinagar, and all cities in the State of Goa;	9% of pay subject to maximum of Rs.1000/- per month.
c) All other places	8% of pay subject to maximum of Rs 950/- per month.

Note: (1) For the purpose of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.

(2) Cities shall include their urban agglomeration.

(3) 'pay' means Basic Pay and additional increments as per paragraph 8A

(2) Officers who are allotted residential accommodation by the Corporation or Company shall pay for such accommodation, appropriate licence fee as may be decided by the Corporation or the Company from time to time and shall not be entitled to House Rent Allowance in terms of sub-item (1) of this item.

V. City Compensatory Allowance :

With effect from 1st day of August,1997, the City Compensatory Allowance payable to Officers shall be as under :

Place of posting	Rate
a) Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Calcutta, New Delhi, Faridabad, Ghaziabad, NOIDA, Gurgaon, and Chennai.	4% of pay subject to a maximum of Rs.375/- per month
b) Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned in (a) Gandhinagar, all cities in the State of Goa;	3% of pay subject to a maximum of Rs 350/- per month
c)cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs,State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Panchkula, Pondicherry, Port Blair.	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.250/- per month

Note: (1) For the purpose of this item, the population figures shall be as per the latest Census Report.

(2) Cities shall include their urban agglomeration

(3) 'pay' means Basic Pay and additional increments as per paragraph 8A

VI. Hill Station Allowance

With effect from 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, Hill Station Allowance payable to Officers shall be as follows:

Height of Place of posting (above Mean Sea Level)	Rate
(i) 1500 meters and over	3% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.216/- per month.
(ii) 1000 meters and over but less than 1500 meters, Mercara and places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central/State Governments for their employees. (iii) Not less than 750 meters and surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 meters and over.	} } }2.5% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.180/- per month. } } } }

VII. Kit Allowance :

Every Officer on his transfer to any of the hill stations at which hill station allowance is payable in terms of item VI of this Schedule shall be paid a Kit Allowance of Rs.2,000/- :

Provided that no kit allowance shall be payable if such Officer has drawn such allowance at any time earlier.

VIII. FIXED PERSONAL ALLOWANCE TO EMPLOYEES WHO HAVE RECEIVED INCREMENT ON ACCOUNT OF COMPUTERISATION EFFECTIVE FROM 1.11.1993:-

With effect from 1st August,1997, the Fixed Personal Allowance payable to Officers as per item VIII of the Eighth Schedule shall stand revised as shown in the Table below :

Table

Officers in the scale of pay of	Pre-revised Fixed Personal Allowance as per item VIII of the Eighth Schedule	Revised Fixed Personal Allowance (FPA)
(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.
General Manager	400	700
Assistant General Manager	300	550
Manager	250	500
Deputy Manager	250	450
Assistant Manager	250	385
Administrative Officer	230	360
Assistant Administrative Officer	230	360

The revised Fixed Personal Allowance shall not qualify for DA and HRA. However, the pre-revised increment component of Fixed Personal Allowance mentioned in column (3) of the above table shall rank for Provident Fund and Pension and the said increment component alongwith dearness allowance thereon as on 1.11.1993 shall rank for Gratuity and encashment of earned leave.

IX Additional increment for computerisation/Fixed Personal Allowance to officers who have joined service of the Corporation or Company after 1.11.1993 but before the date of publication of this Scheme.

(1) All confirmed officers who have joined the services of the Corporation or Company after 1.11.1993 but before the date of publication of this scheme, shall be paid, with effect from the 1st day of the month following the date of publication of this scheme, on account of computerisation, one increment in the scale of pay as may be applicable to the concerned officer on the date of publication of this scheme:

Provided that an officer who, on his first appointment in the service of the Corporation or Company, was on probation on or before the date of publication of this scheme shall be paid one increment on completion of 365 days of service after the date of confirmation:

Provided further that no such increment shall be payable to the officers joining the services of the Corporation or Company on or after the date of publication of this scheme.

(2) An officer who is in receipt of an increment on account of computerisation as per sub-item (1) of this item and who subsequently reaches the maximum of the scale of pay applicable to him, shall be paid, on the expiry of a period of one year of reaching the maximum of the scale of pay, Fixed Personal Allowance equivalent to the amount of last increment in the scale of pay applicable to him on the date of publication of this scheme:

Provided that the Fixed Personal Allowance shall not qualify for payment of dearness allowance or house rent allowance:

Provided further that from out of the Fixed Personal Allowance, the amount as specified in column(2) of the Table below, in respect of each scale of pay, shall rank for Provident Fund and Pension and the said amount alongwith dearness allowance thereon as on 1.11.1993 shall rank for Gratuity and encashment of earned leave.

Table

Officers in the scale of pay of	The amount which shall count for provident fund ,etc.
(1)	(2)
	Rs.
Assistant Manager	250
Administrative Officer	230
Assistant Administrative Officer	230

X. Conveyance Allowance :

With effect from the 1st day of August, 1997, every Officer, who is not in receipt of any Conveyance Allowance under any of the Conveyance Schemes shall be paid Conveyance Allowance of Rs.150/-(Rupees One hundred and fifty) per month.

XI. ONE TIME LUMPSUM PAYMENT IN LIEU OF PRODUCTIVITY LINKED LUMPSUM INCENTIVE(PLLI) :

In lieu of PLLI, officers will be paid for the period from 1.8.1997 to 31.3.1999, one time lumpsum payment of 1.67% of the Wage Bill of the General Insurance Industry for Officers as on 1.8.1997 (pre-revised) .

XII. PRODUCTIVITY LINKED LUMPSUM INCENTIVE(PLLI)SCHEME :

For the period 1.4.1999 to 31.3.2002, PLLI shall be payable as per Appendix.

[F. No. 2 (14)-Ins. III/97(vii)]

AJIT M. SHARAN, Jt. Secy.

FOOT NOTE :- The Principal Scheme was published vide Notification No.S.O.521(E) dated 17.9.1975.

Subsequently amended by Notification No. S.O. 672(E) dated 21-11-1975, S.O. 389(E) dated 1-6-1976, S.O. 2445 dated 30-7-1977, S.O. 1047 dated 29-3-1978, S.O. 2110 dated 14-6-1978, S.O. 3428 dated 16-11-1978, S.O. dated

20-12-1978, S.O. 770(E) dated 15-10-1985, S.O. 883(E) dated 9-12-1985, S.O. 442(E) dated 27-4-1987, S.O. 138(E) dated 29-1-1988, S.O. 782(E) dated 22-8-1988, S.O. 572(E) dated 25-7-1989,S.O. 751(E) dated 1-10-1990, S.O. 200(E) dated 10-3-1992, S.O. 81(E) dated 2-2-1994, S.O.592(E) dated 30.06.1995, S.O. 521(E) dated 18.07.1996, S.O.108 (E) dated 14.02.1997, S.O. 168(E) dated 5.3.1998 and S.O. 729(E) dated 27.8.1998. S.O.695(E) dated 30.08.1999.

APPENDIX

PRODUCTIVITY LINKED LUMPSUM INCENTIVE (PLLI) SCHEME
(See Item XII)

1. PLLI would be based on the Wage Bill of the General Insurance Industry of Company or Corporation, as the case may be, for employees as on 1.8.1997 (pre-revised).

2. **Eligibility :**

Grant of PLLI would be measured on the basis of following parameters :

a) Issue of renewal notices - pre-requisite for eligibility.

Issuance of renewal notices in time limit shall be mandatory i.e. to issue the Renewal Notices in respect of policies expiring in a particular month by the 15th of the previous month.

b) Claim settlement ratio

Claim settlement ratio means the ratio arrived at by the following formula, (rounded off to the number leaving decimals), namely :-

$$\frac{\text{Claims settled during the year}}{\text{Claims outstanding at the beginning of the year plus claims intimated during the year}} \times 100$$

c) Documentation ratio

Documentation ratio means the ratio arrived at by the following formula, (rounded off to the number leaving decimals), namely :-

$$\frac{\text{Documents issued during the year}}{\text{Documents outstanding at the beginning of the year plus documents incepted during the year}} \times 100$$

d) Control of Management Expenses Ratio (MER)

PLLI would be payable in the event the Management Expenses Ratio for the individual Company is within the limits prescribed in the Insurance Act/ Insurance Rules.

Explanation : 1. Parameters mentioned in sub-paragraph (a), (b) and (c) will be applicable for grant of PLLI as per clause (a) of Part A of paragraph 4.1;
2. Parameter (d) will be applicable for grant of PLLI as per clause (b) of Part A of paragraph 4.1

3. Parameters (Threshold level and Benchmark level of performance) :

The PLLI would depend on performance levels in defined parameters. The performance level in each of the parameters would consist of two elements (a) Threshold level and (b) Benchmark levels.

Threshold level of performance will be the actual levels of performance of the respective Companies in the preceding year.

Benchmark level shall be 1% increase over Threshold Level:
Provided that where 99% documentation is already achieved, Benchmark will be fixed at 0.5% increase over Threshold level recorded:
Provided further that a marginal shortfall in any of the parameters may be condoned by the Board.

Whereas the benchmark standards would be uniform for all the Companies, the levels of Performance would be evaluated on Company-wise basis for Part A and Industry as a whole for Part B of the PLLI scheme.

4. PLLI payment Scale:

4.1 The PLLI payable would reckon under two parts–Part A and Part B as under :
Part (A) : On Company-wise performance basis:

PLLI upto a maximum of 2% would be payable for achievement of benchmark levels in Customer Service parameters given below and 1% PLLI would be payable in the event the Management Expenses Ratio (MER) for the individual Company is within the limits prescribed in the Insurance Act, 1938 / Insurance Rules.

Parameter	Scale of Incentive payable
a).**Customer Service parameters**:	
1. Renewal notice – Mandatory	Nil
2. Claims settlement	1.00%
3. Document issuance/disposal	1.00%
b)**MER parameter** 4. MER within the prescribed statutory limit	1.00%
Aggregate limit for payment of PLLI Under Part A	**3.00%**

4.1.1 For the Officers of the Corporation:

2% PLLI would be payable provided the industry average on customer service parameters conform to the benchmark prescribed above. 1% incentive would be payable if at least one Company in the industry conform to the MER parameter indicated above.

4.1.2 Payment of PLLI under Part A would be subject to Gross Profit earned by the Company for the year of performance.

4.2 Part (B) : On Industry Average Basis

PLLI upto 3% would be payable for reduction of Management Expenses ratio (MER) on the following scale:-

	Percentage reduction required in MER (on Industry Average)	Incentive payable (On pro-rata basis)
Stage I	From 21% to 19.5% (reduction upto 1.5%)	1.5%
Stage II	From 19.5% to 19% (reduction upto 0.5%)	1.00%
Stage III	For reduction in MER below 19%)	0.50%

Aggregate limit for payment of PLLI Under Part B	**3.00%**
Aggregate limit for payment of PLLI Under Part A + Part B	**6.00%**

4.2.1 Payment of PLLI under Part B would be subject to Gross Profit earned by the General Insurance Industry for the year of performance

4.3 The maximum amount of PLLI payable shall be at 6% of the wage bill as on 1.8.1997(pre-revised).

Explanation: 1: At stage I, the scale of payment of PLLI would be proportionate to reduction in MER. e.g. in case the MER is reduced by 0.5%, PLLI payable would be 0.5% of wage bill as on 1.8.1997(pre-revised).

2: At stage II, the scale of payment of PLLI would be in the ratio of 1:2 corresponding to the reduction in MER. e.g. for every 0.10% reduction in the MER below 19.5%, PLLI payable would be 0.2% of wage bill as on 1.8.1997(pre-revised).

3. MER calculation would include PLLI paid in the year of payment

5. Payment of PLLI :

The PLLI will be payable after the achievement of the performance with reference to the prescribed benchmark based on the audited accounts for the relevant accounting year.

The PLLI will be distributed as a lumpsum annually after 1st August each year, after the audited figures are available.

6. Suitable Monitoring and Reporting System would be devised by the Corporation or Company to measure the performance level of the Corporation or Company under each parameter. "

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the scales of pay and conditions of service of Officers in the General Insurance Corporation of India and its four Subsidiary Companies with effect from the dates specified in the notification. The General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 is amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Corporation or its Subsidiary Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2000

का०आ० 588(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) (संशोधन) स्कीम, 2000 है।

(2) यह स्कीम, इसमें इसके पश्चात् यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, 1 अप्रैल, 1999 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

(3) यह स्कीम उन सभी कर्मचारियों को लागू होगी जो 1-8-1997 को कम्पनी के विकास अधिकारी काडर में पूर्णकालिक कर्मचारी हैं।

परन्तु ऐसे विकास अधिकारियों, जिनका त्यागपत्र या जिनकी सेवाएं 1-8-1997 से और इस इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख की अवधि के दौरान स्वीकार किया गया था या समाप्त की गई थीं, पुनरीक्षण के कारण बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे।

2. उक्त स्कीम में,—

(i) पैरा 3 में,—

(क) खंड (2) में "अनुसूची घ" शब्द और अक्षर के स्थान पर "अनुसूची च" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) खंड (17) के उपखंड (ग) में मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(iii) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारम्भ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष के लिए खर्च अनुपात के सम्बन्ध में नीचे सारणी-ख के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और उसके स्तम्भ (i) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विकास अधिकारी पर उपगत अनुपात लागू होगा :—

सारणी—ख

निम्नलिखित स्थानों पर कार्य कर रहे विकास अधिकारी	खर्च अनुपात	
(1)	(2)	
	पैरा 11, 11क और 13 के सम्बन्ध में लागू	पैरा 11, 11क और 13 से भिन्न पैरा के सम्बन्ध में लागू
(क) 12 लाख और अधिक जनसंख्या वाले शहर	9%	7%
(ख) 5 लाख और अधिक किन्तु 12 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले शहर	10%	8%
(ग) अन्य केन्द्र	12%	10%

परन्तु निष्पादन वर्ष 1-4-1999 से 31-3-2002 तक सारणी-ख में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात की नियत सीमा में 1% का शिथिलीकरण अनुज्ञात किया जाएगा।

परन्तु यह और कि कठिनाई वाले क्षेत्र में तैनात किसी विकास अधिकारी के लिए, अध्यक्ष, ऐसे क्षेत्र से उपाप्त रकम और प्रीमियम के प्रतिकर को ध्यान में रखने के पश्चात्, ऐसे कारणों से जो लिपिबद्ध किए जाएंगे, सारणी-ख में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात की नियत सीमा में एक प्रतिशत का और शिथिलीकरण मंजूर कर सकेगा।

परन्तु यह और भी कि पैरा 11, 11क और 13 के सम्बन्ध में नियत सीमा, ऐसे विकास अधिकारी की बाबत एक प्रतिशत तक और शिथिल की जाएगी, जिसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और सेवा के न्यूनतम 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

स्पष्टीकरण 1 : "जनसंख्या" से किसी नगर की नगरपालिका सीमा के भीतर नवीनतम जनगणना रिपोर्ट से अभिनिश्चित जनसंख्या अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2 : ''कठिनाई वाला क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे निगम द्वारा उस क्षेत्र में कारबार उपाप्त करने में आने वाली विशेष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उस रूप में विनिर्दिष्ट किया है।

(ii) उक्त स्कीम के पैरा 7क, 7ख और 7ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''7क वेतनमान, नियतन की पद्धति और बकाया का संदाय :

(1) 1 अप्रैल, 1999 से ही प्रत्येक विकास अधिकारी का मूल वेतन और भत्ते अनुसूची ''च'' के अनुसार होंगे।

(2) प्रत्येक विकास अधिकारी का मूल वेतन, जो 1 अप्रैल, 1999 को सेवा में था या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया था, 1 अप्रैल, 1999 से या उसकी नियुक्ति की तारीख से, इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, अनुसूची ''च'' के मद II के अनुसार नियत किया जाएगा।

(3) प्रत्येक विकास अधिकारी को, जिसका मूल वेतन अनुसूची ''च'' की मद II के अनुसार नियत किया गया है। अप्रैल, 1999 से ही या उसकी नियुक्ति की तारीख से, जो भी बाद की हो, प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए अनुसूची ''च'' के अधीन सकल परिलब्धियों और तकनीक अर्हताओं के लिए संदेय भत्ते और अनुसूची ''घ'' के अधीन संदत्त की गई राशि के बीच का अंतर, भविष्य निधि में विकास अधिकारी का अनविार्य अंशदान काटने के पश्चात्, संदत्त किया जाएगा।

7ख साम्यपूर्ण सहायता :—

पैरा 7क में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विकास अधिकारी को, जो 1 अगस्त, 1997 से 31 मार्च, 1999 तक अवधि के दौरान किसी भी समय सेवारत था, ऐसी सेवा की अवधि से साम्यपूर्ण सहायता संदत्त की जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजन के लिए ''साम्यपूर्ण सहायता'' से क्रमशः अनुसूची ''च'' और अनुसूची ''घ'' के अधीन संगणित सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते के बीच का अन्तर अभिप्रेत है परन्तु यह, यथास्थिति, अनुग्रहपूर्वक संदाय, भविष्य निधि, उपदान उपर्जित छुट्टी क नकदीकरण के पारिणामिक समायोजन के पश्चात् निकाली जाएगी।

7ग. बकाया और साम्यपूर्ण सहायता का खर्च में समामेलन :

पैरा 7क और 7ख के अधीन अवधारित बकाया और साम्यपूर्ण सहायता को, खर्च की नियत सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए सम्बन्धित कार्य निष्पादन वर्ष के लिए, जिससे वह सम्बन्धित है, विकास अधिकारी के खर्च में जोड़ दिया जाएगा और अतिशेष को 2000-2001 और 2001-2002 निष्पादन वर्ष के लिए उसकी लागत में ऐसे अनुपात में जोड़ दिया जाएगा, जिसका वह इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के 90 दिन के भीतर चयन करें। ''

(iv) पैरा 13 के उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(3) ऐसा विकास अधिकारी, जो विकास अधिकारी श्रेणी को लागू पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम प्राप्त कर रहा है इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह :

(क) पूर्ववर्ती निष्पादन वर्ष में उक्त स्कीम के पैरा 11, 11क और 13 के अधीन नियत खर्च अनुपात को पूरा करता है, और

(ख) सामान्य श्रेणी वेतनवृद्धि लेने के लिए अन्यथा पात्र है, और

(ग) जिसका कार्य अभिलेख समाधानप्रद पाया जाता है,

ऐसा अधिकतम प्राप्त करने के पश्चात् उसे निरन्तर सेवा के प्रत्येक तीन संपूरित वर्षों के लिए उसके द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में ली गई अंतिम वेतनवृद्धि के समतुल्य वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि, दो अधिकतम वेतनवृद्धियों के अधीन रहते हुए मंजूर की जा सकेगी। ऐसे वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उसके लिए विशेष रूप से प्राधिकृत उप प्रबंधक की पंक्ति से अन्यून का कोई अधिकारी होगा।

परन्तु यह तब जब कि पहली ऐसी वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चात्वर्ती मास की पहली तारीख के पश्चात् मंजूर की जाती है।

स्पष्टीकरण : इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए ''निरन्तर सेवा'' से असाधारण छुट्टी की अवधि को छोड़कर कर्तव्य की अवधि अभिप्रेत है ।''

(v) पैरा 16 में, स्पष्टीकरण में, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

''(iii) अनुसूची ''च'' के अनुसार 1 अगस्त, 1997 को प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए।''

(vi) अनुसूची ''ङ'' के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची-च

(पैरा 3, 7क, 7ख और 16 देखिए)

I. वेतनमान (मूल वेतन)

1. विकास अधिकारी ग्रेड I :

5225-285(5)-6650-300(3)-7550-350(4)-8950-360(11)-12910 रु.

2. विकास अधिकारी ग्रेड II :

3580-230(3)-4270-260(4)-5310 रु.

II. मूल वेतन का नियतन :

सारणी

	विकास अधिकारी ग्रेड I		विकास अधिकारी ग्रेड II	
प्रक्रम सं.	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन	विद्यमान मूल वेतन	पुनरीक्षित मूल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	रु.	रु.	रु.	रु.
1.	2815	5225	2050	3580
2.	2970	5510	2170	3810
3.	3125	5795	2290	4040
4.	3280	6080	2410	4270
5.	3435	6365	2530	4530
6.	3610	6650	2660	4790
7.	3840	6950	2790	5050
8.	4070	7250		
9.	4300	7550		
10.	4530	7900		
11.	4760	8250		
12.	4990	8600		
13.	5220	8950		
14.	5450	9310		
15.	5680	9670		
16.	5910	10030		
17.	6140	10390		
18.	6370	10750		
19.	6600	11110		
20.	6830	11470		
21.	7060	11830		
22.	7290	12190		
23.	7520	12550		

टिप्पण :—ऊपर सारणी में "विद्यमान मूल वेतन" पद से अनुसूची "घ" के अनुसार यथा लागू मूल वेतन अभिप्रेत है।

III. मंहगाई भत्ता :

(1) विकास अधिकारियों को लागू मंहगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता कीमत सूचकांक संख्या ।

आधार : 1960=100 की शृंखला में सूचकांक संख्या 1740

उपर प्रत्येक 4 प्वाइंटों की कमी या वृद्धि के लिए किया जायगा। विकास अधिकारियों को मूल वेतन के 0.23% की दर से महंगाई भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का त्रैमासिक औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "चालू औसत अंक" कहा गया है) में "1740-1744-1748-1752" के अनुक्रम में 1740 प्वाइंटों से ऊपर प्रत्येक चार प्वाइंटों की वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण होगा, और यदि चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में उस सूचकांक से नीचे आ जाता है जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए मंहगाई भत्ता दिया गया है तो संदेय महंगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा। अधोगामी पुनरीक्षण होने पर संदेय महंगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंकों के तत्समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक है और यदि ऐसा चालू औसत अंक, उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में उस अंक के तत्समान होगा, जो चालू औसत अंक से ठीक पहले का है।

(3) भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र में, जो भी प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, यथाप्रकाशित अंतिम सूचकांक आंकड़े ऐसे सूचकांक आंकड़े होंगे जो महंगाई भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिए जाएंगे।

(4) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत आंकड़े में परिवर्तनों के तत्समान महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण उस तिमाही की समाप्ति के पश्चात् दूसरे उत्तरवर्ती मास से ही प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण :—इस मद के प्रयोजन के लिए "तिमाही" के तीन मास की अवधि अभिप्रेत होगी जो मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के अंतिम दिन समाप्त होगी।

IV. मकान किराया भत्ता :—

(1) ऐसे विकास अधिकारियों, जिन्हें निगम या कंपनी द्वारा वास-सुविधा आबंटित की गई है से भिन्न विकास अधिकारियों के लिए मकान किराया भत्ता उनकी तैनाती के स्थान पर निर्भर रहते हुए नीचे विनिर्दिष्ट दर से होगा :

	तैनाती का स्थान	दर प्रतिमाह
(क)	मुम्बई, नवी मुम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोयेडा, गुडगांव और चेन्नई शहर	अधिकतम 200 रु. प्रतिमाह के अधीन रहते हुए वेतन का 11%
(ख)	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, ऊपर (क) में वर्णित नगरों को छोड़कर, गांधीनगर और गोवा राज्य का कोई नगर	अधिकतम 1000 रु. प्रतिमाह के अधीन रहते हुए वेतन का 9%
(ग)	अन्य सभी स्थान	अधिकतम 950 रु. प्रतिमाह के अधीन रहते हुए वेतन का 8%

टिप्पण (1) इस पैरा के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट में दिए गए हों।

(2) नगरों के अंतर्गत उनकी नगरबस्तियां आती हैं।

(3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 13(3) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि/वृद्धियां अभिप्रेत होंगी।

(2) ऐसे विकास अधिकारी, जिन्हें निगम या कंपनी द्वारा वास-सुविधा का आबंटन किया जाता है, ऐसी वास-सुविधा के लिए निगम द्वारा समय-समय पर विनिश्चित समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे और किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

V नगर प्रतिकारात्मक भत्ता :—

1-8-1997 से विकास अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकारात्मक भत्ते का मापदान निम्न प्रकार होगा :—

	तैनाती का स्थान	प्रतिमाह दर
(क)	मुम्बई, नवी मुम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, फरीदाबाद, नौयेडा, गुडगांव और चेन्नई शहर	वेतन का 4 प्रतिशत, न्यूनतम 120 रु. प्रतिमाह और अधिकतम 300 रु. प्रतिमास के अधीन रहते हुए
(ख)	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, ऊपर (क) में वर्णित नगरों को छोड़कर, गांधीनगर और गोवा राज्य के सभी नगर	वेतन का 3 प्रतिशत, न्यूनतम 100 रु. प्रतिमाह और अधिकतम 270 रु. प्रतिमाह के अधीन रहते हुए

(ग)	ऐसे नगर, जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक किन्तु 12 लाख से कम है, 12 लाख से अनधिक जनसंख्या की राज्य की राजधानियां, चंडीगढ़, मोहाली, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकूला	वेतन का 2.5 प्रतिशत, न्यूनतम 75 रु. प्रतिमाह और अधिकतम 225 रुपए प्रतिमाह के अधीन रहते हुए

टिप्पण : (1) इस पैरा के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे जो नवीनतम जनगणना रिपोर्ट में दिए गए हों।

(2) नगरों के अंतर्गत उनकी नगरबस्तियां आती हैं।

(3) "वेतन" से मूल वेतन और पैरा 13(3) के अनुसार वृद्धिरुद्ध वेतनवृद्धि/वृद्धियां अभिप्रेत होंगी।

VI. पर्वतीय स्थान भत्ता :

इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के अगले मास की 1 तारीख से विकास अधिकारियों को सदैव पर्वतीय स्थान भत्ता निम्नलिखित होगा :

	तैनाती का स्थान	दर
(i)	औसत समुद्र तल से 1500 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित स्थान	मूल वेतन का 3% किन्तु अधिकतम 180 रु. प्रतिमास
(ii)	मरकरा और ऐसे स्थानों पर जिन्हें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विशिष्ट रूप से "पर्वतीय स्थान" घोषित किया जाता है, औसत समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित स्थान	मूल वेतन का 2.5% किन्तु अधिकतम 150 रुपये प्रतिमास
(iii)	750 मीटर से अन्यून ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान जो 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हैं और जहां केवल पहाड़ी रास्ते से पहुंचा जा सकता है।	मूल वेतन का 2.5% किन्तु अधिकतम 150 रु. प्रतिमास

VII. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता :

(1) इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के अगले मास की 1 तारीख से तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते का संदाय निम्न प्रकार से किया जाएगा :

(2) ऐसे पुष्ट किए गए विकास अधिकारी को, जो नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हित होता है या जिसने उसमें अर्हता प्राप्त की है, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते का संदाय किया जाएगा :

परन्तु उसे एक से अधिक अर्हता भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

सारणी

	परीक्षा	तकनीकी अर्हताओं के लिए प्रतिमास	
	(1)	(2)	(3)
	भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर :	(पुनरीक्षित)	(पुनरीक्षण-पूर्व)
(i)	लाइसेंसिएट	95 रु.	48 रु.
(ii)	एसोसिएटशिप	285 रु.	144 रु.
(iii)	फैलोशिप	475 रु.	240 रु.
	बीमांकन संस्थान :		

	(1)	(2)	(3)
(iv)	प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर	95 रु.	48 रु.
	चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान या लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान : निम्नलिखित पाठ्यक्रम पूरा करने पर :		
(v)	इंटरमीडिएट परीक्षा	190 रु.	96 रु.
(vi)	अंतिम समूह क या समूह ख	355 रु.	180 रु.
(vii)	अंतिम समूह क और समूह ख	475 रु.	240 रु.

(3) तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता दिए जाने से संबंधित विकास अधिकारी की ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) ऊपर सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित तकनीकी अर्हता के लिए भत्ते की गणना किसी भत्ते के प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी। तथापि, भविष्य निधि, पेंशन और वर्ग 2 से वर्ग 1 काडर में प्रोन्नति पर नियतन के प्रयोजन के लिए उक्त पुनरीक्षित भत्ते की गणना प्रत्येक परीक्षा के सामने स्तंभ (3) में यथा उल्लिखित पुनरीक्षण पूर्व भत्ते की सीमा तक की जाएगी। उक्त पुनरीक्षण पूर्व भत्ते के साथ इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को अनुसूची घ के अनुसार उस पर राष्ट्रीय महंगाई भत्ते की गणना उपदान और उपार्जित छुट्टी के नगदीकरण के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

VIII. ऐसे विकास अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता जिन्होंने 1-11-1993 से कम्प्यूटरीकरण मद्दे वेतनवृद्धि प्राप्त की है :

1 अगस्त, 1997 से अनुसूची घ के मद VIII के अनुसार विकास अधिकारियों को संदेय नियत वैयक्तिक भत्ता नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार पुनरीक्षित हो जाएगा :

सारणी

निम्नलिखित वेतनमान में विकास अधिकारी	अनुसूची घ के मद VIII के अनुसार विद्यमान नियत वैयक्तिक भत्ता	पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता
(1)	(2)	(3)
	रु.	रु.
विकास अधिकारी श्रेणी I	230.00	360.00
विकास अधिकारी श्रेणी II	130.00	260.00

पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता, मंहगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता के लिए अर्हित नहीं होगा। तथापि, ऊपर सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते का पुनरीक्षण पूर्व वेतनवृद्धि संघटक भविष्य निधि और पेंशन की गणना में लिया जाएगा। उक्त पुनरीक्षण पूर्व वेतनवृद्धि संघटक और 1-11-1993 के अनुसार उस पर महंगाई भत्ता, उपदान और उपार्जित छुट्टी के नगदीकरण के लिए गणना में लिया जाएगा।

IX. ऐसे विकास अधिकारियों को कम्प्यूटर वेतनवृद्धि/नियत वैयक्तिक भत्ता जिन्होंने 1-11-1993 के पश्चात् किन्तु इस स्कीम की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पहले सेवा में पद ग्रहण किया है :

(1) ऐसे सभी पुष्ट किए गए विकास अधिकारियों को, जिन्होंने 1-11-1993 को या उसके पश्चात् किन्तु इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पहले कंपनी की सेवा में पद ग्रहण किया है, इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कम्प्यूटरीकरण मद्दे उस वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का, जो इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को संबंधित विकास अधिकारी को लागू हो, संदाय किया जाएगा :

परन्तु ऐसे विकास अधिकारी को, जो निगम या कंपनी की सेवा में उसकी पहली नियुक्ति पर इस स्कीम की प्रकाशन की तारीख को या उसके पहले परिवीक्षा पर था, उसके पुष्ट किए जाने की तारीख के पश्चात् सेवा का एक वर्ष पूरा हो जाने पर एक वेतनवृद्धि का संदाय किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् निगम या कंपनी की सेवा में प्रवेश करने वाले विकास अधिकारियों को ऐसी कोई वेतनवृद्धि संदेय नहीं होगी।

(2) किसी विकास अधिकारी को, जो इस मद के उपपद (1) के अनुसार कम्प्यूटरीकरण मद्दे उसकी वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहा है और जो तत्पश्चात् उसे लागू वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचता है, वेतनमान के अधिकतम पर पहंचने के एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उस नियत

वैयक्तिक भत्ते का संदाय किया जाएगा, जो इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को उसे लागू वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि की रकम के समतुल्य हो:

परन्तु यह कि नियत वैयक्तिक भत्ता, मंहगाई भत्ता या मकान किराया भत्ता के संदाय के लिए अर्हित नहीं होगा :

परन्तु यह और कि नियत वैयक्तिक भत्ते में से, प्रत्येक वेतनमान की बांबत, नीचे सारणी के स्तम्भ 2 में यथाविनिर्दिष्ट रकम को, भविष्य निधि और पेंशन के लिए गणना की जाएगी और उक्त रकम तथा 1-11-1993 के अनुसार उस पर मंहगाई भत्ते के साथ उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी।

सारणी

निम्नलिखित वेतनमान में विकास अधिकारी	वह रकम जिसकी गणना भविष्य निधि आदि के लिए की जाएगी।
(1)	(2)
	रु.
विकास अधिकारी श्रेणी-I	230.00
विकास अधिकारी श्रेणी-II	130.00

X. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (उ.सं.ए.प्रो.) के बदले एक बार एकमुश्त संदाय

उ. सं. ए. प्रो. के बदले 1-8-1997 से 31-3-1999 की अवधि के लिए 1-8-1999 (पुनरीक्षण पूर्व) विकास अधिकारियों के लिए साधारण बीमा उद्योग के मजदूरी बिल का 1. 67% का एक बार एकमुश्त संदाय किया जाएगा।

XI. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (उ.सं.ए.प्रो.) स्कीम 1-8-1999 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए परिशिष्ट के अनुसार (उ.सं.ए.प्रो.) संदाय किया जाएगा।

[फा. सं. 2(14)/बीमा-III/97(viii)]

अजीत एम. शरण, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल स्कीम अधिसूचना सं. का. आ. 327 (अ), तारीख 29-4-1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 761 (अ), तारीख 1-12-1976, का. आ. 2444 तारीख 30-7-1977, का. आ. 1048 तारीख 29-3-1978, का. आ. 414 (अ), तारीख 28-6-1978, का. आ. 3430 (अ), तारीख 16-11-1978, का. आ. 80 (अ), तारीख 13-2-1987, का. आ. 781 (अ), तारीख 22-8-1988, का. आ. 478 (अ), तारीख 13-6-1990, का. आ. 766 (अ), तारीख 19-10-1990, का. आ. 201 (अ), तारीख 10-3-1992, का. आ. 82 (अ), तारीख 2-2-1994, का. आ. 593 (अ), तारीख 30-6-1995, का. आ. 522 (अ), तारीख 18-7-1996, का. आ. 145 (अ), तारीख 25-2-1997, का. आ. 730 (अ), तारीख 27-8-1998, और का. आ. 696 (अ), तारीख 30-8-1999 द्वारा किया गया।

परिशिष्ट

उत्पादकता संबद्ध एक मुश्त प्रोत्साहन स्कीम (उ0स0ए0प्रो0 स्कीम)

(मद xii देखिए)

1. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 1-8-1997 (पुनरीक्षण पूर्व) को अधिकारियों के लिए, यथास्थिति, साधारण बीमा उद्योग या कंपनी या निगम के मजदूरी बिल पर आधारित होगा ।

2. **पात्रता**

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन को निम्नलिखित पैरामीटरो के आधार पर मापा जाएगा :

क) नवीकरण सूचनाओं का जारी किया जाना - पात्रता के लिए पूर्वापेक्षा

समय सीमा में नवीकरण सूचनाओं का जारी किया जाना आज्ञापक होगा अर्थात् किसी विशिष्ट मास मे समाप्त होने वाली पालिसियो की बाबत नवीकरण सूचनाएं पूर्व मास की 15 तारीख तक जारी की जानी है ।

ख) दावा समझौता अनुपात

दावा समझौता अनुपात से निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला गया अनुपात (दशमलव को छोड़कर संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा) अभिप्रेत है, अर्थात् :—

$$\frac{\text{वर्ष के दौरान सुलझाए गए दावे}}{\text{वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे + धन वर्ष के दौरान सूचित किए गए दावे}} \times 100$$

ग) प्रलेखीकरण अनुपात

प्रलेखीकरण अनुपात से निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला गया अनुपात (दशमलव को छोड़कर संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा) अभिप्रेत है, अर्थात् :—

$$\frac{\text{वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रलेख}}{\text{वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रलेख + धन वर्ष के दौरान जोड़े गए प्रलेख}} \times 100$$

घ) प्रबधन व्यय अनुपात का नियत्रण (प्र.व्य.अ.)

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन उस दशा मे सदेय होगा जब किसी व्यष्टिक कपनी के लिए प्रबंधन व्यय अनुपात, बीमा अधिनियम / बीमा नियम मे विहित सीमाओं के भीतर है ।

स्पष्टीकरण— (1) उपधारा (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित पैरामीटर, पैरा 4 1 के भाग क के खड (क) के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की मजूरी के लिए लागू होगे ।

(2) पैरामीटर (घ), पैरा 4.1 के भाग क के खड (ख) के अनुसार उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की मंजूरी के लिए लागू होगा ।

3 **पैरामीटर (कार्य निष्पादन का आरंभिक स्तर और निर्देश चिन्ह स्तर) :**

उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन परिभाषित पैरामीटरो में कार्य निष्पादन स्तर पर निर्भर करेगा । प्रत्येक पैरामीटर में कार्य निष्पादन स्तर के दो तत्व होंगे (क) आरंभिक स्तर और (ख) निर्देश चिह्न स्तर ।

कार्य निष्पादन का आरंभिक स्तर पूर्ववर्ती वर्ष में संबंधित कंपनियों के कार्य निष्पादन का वास्तविक स्तर होगा ।

निर्देश चिह्न स्तर, आरंभिक स्तर पर 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी :

परंतु जहां 99 प्रतिशत प्रलेखन पहले ही प्राप्त कर लिया गया हो, वहां निर्देश चिह्न स्तर अभिलिखित आरभिक स्तर पर 0.5 प्रतिशत वृद्धि पर नियत किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी एक पैरामीटर मे सीमांत कमी बोर्ड द्वारा माफ की जा सकेगी ।

जब कि निर्देश चिह्न मानक सभी कंपनियों के लिए एक समान होंगे, कार्य निष्पादन के स्तर भाग क के लिए कंपनी-वार आधार पर और उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन स्कीम के भाग ख के लिए समग्र उद्योग के आधार पर मूल्यांकित किए जाएंगे ।

4 उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदाय मान

4.1 संदेय उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की गणना दो भागों— भाग क और भाग ख के अधीन निम्नवत की जाएगी :-

भाग क : कंपनी-वार कार्य निष्पादन के आधार पर

उ.सं.ए.प्रो. नीचे दिए गए ग्राहक सेवा पैरामीटरों में निर्देश चिह्न स्तरो की प्राप्ति के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत तक संदेय होगा और यदि व्यष्टिक कंपनी के लिए प्रबंधन व्यय अनुपात (प्र व्य.अ.) बीमा अधिनियम, 1938/ बीमा नियमों में विहित सीमाओं के भीतर है तो उस दशा में 1 प्रतिशत उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन सदेय होगा ।

पैरामीटर	संदेय प्रोत्साहन का मान
क) ग्राहक सेवा पैरामीटर	
1 नवीकरण सूचना आज्ञापक	शून्य
2. दावा समझौता	1 00%
3 दस्तावेजों का जारी किया जाना/निपटान	1.00%
ख) प्र0 व्य0 अ0 पैरामीटर	
4. प्र0व्य0अ0, विहित कानूनी सीमा के भीतर	1 00%
भाग क के अधीन उ.सं.ए.प्रो. के संदाय की कुल सीमा	**3.00%**

4 1.1 निगम के अधिकारियों के लिए

यदि ग्राहक सेवा पैरामीटरों पर उद्योग औसत ऊपर विहित निर्देश चिह्न के अनुरूप है तो 2 प्रतिशत उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन सदेय होगा और यदि उद्योग मे कम-से-कम एक कंपनी ऊपर उपदर्शित प्र व्य अ पैरामीटर के अनुरूप है तो 1 प्रतिशत उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन सदेय होगा ।

4.1 2 भाग क के अधीन उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का सदाय, निष्पादन वर्ष के लिए कपनी द्वारा अर्जित सकल लाभ के अध्यधीन होगा ।

4.2 भाग(ख) : उद्योग औसत के आधार पर

प्रबन्धन व्यय अनुपात (प्र0व्य0अ0) मे कमी लाने के लिए निम्नलिखित मान पर 3% तक उत्पादकता सबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

	प्र0व्य0अ0 मे अपेक्षित कमी का प्रतिशत (उद्योग औसत के आधार पर)	संदेय प्रोत्साहन (आनुपातिक आधार पर)
प्रक्रम I	21 % से 19.5 %	1.5%

	(1.5% तक कमी)	
प्रक्रम II	19.5% से 19 % (0.5% तक कमी)	1.00%
प्रक्रम III	प्र0व्य0अ0 मे 19% से न्यून कमी के लिए	0.50%

भाग ख के अधीन उ.सं.ए.प्रो. के संदाय के लिए कुल सीमा	3.00%
भाग क + भाग ख के अधीन उ.सं.ए.प्रो. के संदाय के लिए कुल सीमा	6.00%

4.2.1 भाग ख के अधीन उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का संदाय, निष्पादन वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अर्जित सकल लाभ के अध्यधीन होगा ।

4.3 संदेय प्रोत्साहन की अधिकतम राशि 1.8.1997 (पुनरीक्षण पूर्व) को मजदूरी बिल का 6% होगी ।

स्पष्टीकरण- 1: प्रक्रम 1 पर, उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के संदाय का मान प्रबंधन व्यय अनुपात में हुई कमी के अनुपात में होगा उदाहरणार्थ यदि प्रबंधन व्यय अनुपात में 0.5 प्रतिशत की कमी होती है तो 1-8-1997 को (पुनरीक्षण पूर्व) मजदूरी बिल के 0.5 प्रतिशत पर उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन सदेय होगा ।

(2) प्रक्रम 2 पर उ.सं.ए.प्रो. के संदाय का मान का नाम प्र.व्य.अ. में कमी के तत्समान 1: 2 के अनुपात मे होगा । उदाहरणार्थ 19.5 प्रतिशत से नीचे प्र.व्य.अ. में प्रत्येक 0.10 की कमी के लिए संदेय उ.सं.ए. प्रोत्साहन 1-8-1997 को (पुनरीक्षण पूर्व) मजदूरी बिल का 0.2 प्रतिशत होगा

(3) प्रबंधन व्यय अनुपात की गणना में, सदाय के वर्ष में संदत्त उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन शामिल किया जाएगा ।

5. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का संदाय :

उ0स0ए0प्रो0 का संदाय, संगत लेखा वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर विहित निर्देश चिह्न के प्रति निर्देश से कार्य निष्पादन की उपलब्धि के पश्चात् किया जाएगा ।

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का वितरण, प्रत्येक वर्ष वार्षिक तौर पर 1 अगस्त के पश्चात्, सपरीक्षित आकड़े उपलब्ध हो जाने पर एकमुश्त रूप में किया जाएगा ।

6 निगम/कंपनी, प्रत्येक पैरामीटर के अधीन निगम/कंपनी के कार्य निष्पादन स्तर को मापने के लिए, समुचित मोनीटर करने और रिपोर्ट करने की प्रणाली तैयार करेगी ।

स्पष्टीकरण

केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 1999 से समनुषगी कंपनियों के विकास अधिकारियों की बाबत वेतनमानों और सेवा शर्तों को पुनरीक्षित करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। विकास अधिकारियों की स्कीम अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीखों से तदानुसार संशोधित की जा रही है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से समनुषंगी कंपनियों के किसी विकास अधिकारी के विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2000

S.O. 588 (E).— In exercise of the powers conferred by section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as "the said scheme"), namely :-

Short title,commencement and application:-

1. (1) This scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) (Amendment) Scheme, 2000.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, this scheme shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1999.

(3) This scheme shall be applicable to all employees who are whole time employees in Development Officer cadre, of the Company as on 1.8.1997 :

Provided that the Development Officers whose resignation had been accepted or whose services had been terminated during the period from 1.8.1997 and the date of publication of this scheme in the Official Gazette shall not be eligible for the arrears on account of revision.

2. In the said scheme,-

(i) in paragraph 3, -

(a) in clause (2), for the word and the letter "Schedule D", the word and the letter "Schedule F" shall be substituted;

(b) in clause (17), in sub-clause (c), after item (ii), the following item shall be inserted, namely :-

"(iii) in relation to cost ratio for performance year commencing on the 1st day of April, 1999, the ratios specified in column (2) of the Table - B below and incurred on a Development Officer specified in the corresponding entry in column (1) thereof shall apply :-

Table - B

Development Officer operating at	cost ratio	
(1)	(2)	
	Applicable in relation to paragraphs 11, 11A and 13	Applicable in relation to paragraphs other than 11, 11A and 13
(A) Cities with population exceeding 12 lakhs	9%	7%
(B) Cities with population of 5 lakhs and above, but not exceeding 12 lakhs	10%	8%
(C) Other centres	12%	10%

Provided that for the performance years 1.4.1999 to 31.3.2002 relaxation of 1% shall be allowed in the stipulated limits of cost ratios specified in the Table - B:

Provided further that for a Development Officer posted in a hardship area, the Chairman, after taking into account the amount and the compensation of premium procured from such area, and for reasons to be recorded in writing, grant further relaxation of one per cent in the stipulated limit of cost ratio specified in the Table - B:

Provided also that the stipulated limits in relation to paragraphs 11, 11A and 13 shall be further relaxed by one per cent in respect of a Development Officer who has attained the age of 55 years and has completed minimum 15 years of service.

Explanation-1 : "population" shall mean the population of a city within its municipal limits ascertained from the latest Census Report.

Explanation-2 : "hardship area" shall mean an area specified as such by the Corporation in regard to the special difficulties faced in procuring business in that area." ;

(ii) for the paragraphs 7A, 7B and 7C, the following shall be substituted namely:-

"7A Scales of pay, method of fixation and payment of arrears :

(1) On and from the 1st day of April, 1999, the Basic Pay and allowances of every Development Officer shall be in accordance with Schedule 'F'.

(2) The Basic Pay of every Development Officer who was in service on 1st day of April, 1999 or was appointed thereafter, shall be fixed in accordance with item III of Schedule 'F', with effect from the 1st day of April, 1999 or the date of appointment, whichever is later.

(3) Every Development Officer whose Basic Pay is fixed in accordance with item II of Schedule 'F', shall be paid for the period commencing on and from the 1st day of April, 1999 or the date of his appointment, whichever is later, the difference of gross emoluments and allowance for technical qualification payable under Schedule 'F' and that paid under Schedule 'D' after deducting the Development Officers' compulsory contribution to Provident Fund.

7B Equitable Relief :

Notwithstanding anything contained in paragraph 7A, the Development Officer who was in service at any time during the period from the 1st of August, 1997 to 31st day of March, 1999 shall be paid equitable relief from the period of such service.

Explanation : For the purpose of this paragraph the term 'Equitable Relief' means the difference between the aggregate of gross emoluments and allowance for technical qualifications computed under Schedule 'F' and Schedule 'D', respectively with consequent adjustment of ex-gratia payment, Provident Fund, Pension, Gratuity and Encashment of Earned Leave, as the case may be.

7C Absorption of Arrears and Equitable Relief in cost :

The arrears and equitable relief determined under paragraph 7A and 7B shall be added to the cost of Development Officer for the respective performance year to which they relate, subject to the stipulated limits of cost and the balance shall be added to his cost for the performance year 2000-2001 and 2001-2002 in such proportion as he may choose within 90 days of the publication of this scheme.";

(iv) in paragraph 13, after the sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :-

"(3) A Development Officer who has reached the maximum of the revised scale of pay as applicable to Development Officer Grade I, may subject to the conditions that he :

(a) fulfills the stipulated cost ratios under paragraphs 11,11A and 13 of the said Scheme, in the previous performance year, and ;

(b) is otherwise eligible for drawing normal grade increment, and ;

(c) is found to have a satisfactory work record,

be granted for every three completed years of continuous service after reaching such maximum a stagnation increment equal to the last increment drawn by him in the revised scale of pay, subject to a maximum of two increments. Competent Authority to grant such stagnation increments shall be any Officer not below the rank of Deputy Manager, specifically authorised for the same:

Provided that first such stagnation increment is granted after the first day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette.

Explanation : For the purposes of this paragraph "continuous service" means a period of duty excluding period of extra ordinary leave".;

(v) in paragraph 16 ,in the Explanation,after item (ii),the following shall be inserted ,namely:-

"(iii)for the period commencing on the 1st day of August, 1997 as per Schedule 'F' ";

(vi) after Schedule 'E', the following Schedule shall be inserted,namely :-

"SCHEDULE-F

(See paragraphs 3, 7A, 7B and 16)

I. Scales of Pay (Basic Pay)

1. Development Officer Grade I :
   Rs.5225-285(5)-6650-300(3)-7550-350(4)-8950-360(11)-12910
2. Development Officer Grade II
   Rs.3580-230(3)-4270-260(4)-5310

II. Fixation of Basic Pay :

TABLE

	Development Officer Grade I		Development Officer Grade II	
Stage No.	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay	Existing Basic Pay	Revised Basic Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1.	2815	5225	2050	3580
2.	2970	5510	2170	3810
3.	3125	5795	2290	4040
4.	3280	6080	2410	4270
5.	3435	6365	2530	4530
6.	3610	6650	2660	4790
7.	3840	6950	2790	5050
8.	4070	7250		
9.	4300	7550		
10.	4530	7900		
11.	4760	8250		
12.	4990	8600		
13.	5220	8950		
14.	5450	9310		
15.	5680	9670		
16.	5910	10030		
17.	6140	10390		
18.	6370	10750		
19.	6600	11110		
20.	6830	11470		
21.	7060	11830		
22.	7290	12190		
23.	7520	12550		

Note : The term "Existing Basic Pay" in the above Table shall mean the Basic Pay as applicable in accordance with Schedule 'D'.

III. Dearness Allowance :

(1) The scale of dearness allowance applicable to Development Officers shall be determined as under :

Index : All India Average Consumer Price Index number for Industrial Workers.

Base : Index Number 1740 in the series of 1960=100

Rate : Revision of dearness allowance shall be made on quarterly basis for every 4 points rise or fall, in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 1740 points. Development Officers may be paid dearness allowance at the rate of 0.23% of Basic Pay.

There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figures") of the All India Consumer Price Index above "1740-1744-1748-1752" and so on and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figures falls by 4 points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence; and if such current average figure is not a figure in the above sequence the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average figure.

(3) The final index figure as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation:- For the purposes of this item, 'quarter' shall mean a period of three months ending on last day of the month of March, June, September or December.

IV. House Rent Allowance :

(1) The House Rent Allowance to Development Officers, except those who have been allotted residential accommodation by the Corporation or the Company shall be at the rates specified below depending on the place of posting :

Place of posting	Rate per month
a) Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Calcutta, New Delhi, Faridabad, Gaziabad, NOIDA, Gurgaon, and Chennai	11% of pay, subject to maximum of Rs.1200/- per month
b) Cities with population exceeding 12 lacs,except cities mentioned at (a), Gandhinagar and all cities in the State of Goa;	9% of pay, subject to maximum of Rs.1000/- per month
c) All other places	8% of pay,subject to maximum of Rs.950 per month

Note 1: For the purpose of this item, the population figure shall be those in the latest Census Report.

Note 2: Cities shall include their urban agglomerations.

Note 3 : 'pay' means Basic Pay and stagnation increments as per paragraph 13(3)

(2) Development Officers who are allotted residential accommodation by the Corporation or Company shall pay for such accommodation appropriate license fee as may be decided by the Corporation from time to time and shall not be entitled to any house rent allowance.

V. City Compensatory Allowance :

With effect from 1.8.1997, the city compensatory allowance payable to the Development Officers shall be as under :

Place of posting	Rate per month
a) Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Calcutta, New Delhi, Faridabad, Gaziabad, NOIDA, Gurgaon, and Chennai	4% of pay subject to a minimum of Rs.120/- per month and maximum of Rs300/- per month
b) Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned at (a) Gandhinagar and all cities in the State of Goa;	3% of pay subject to a minimum of Rs.100/- per month and maximum of Rs.270/- per month
c) Cities with the population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs,State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair, Panchkula.	2.5% of pay subject to a minimum of Rs.75/- per month and maximum of Rs.225/- per month

Note 1: For the purpose of this item, the population figure shall be those in the latest Census Report.

Note 2: Cities shall include their urban agglomerations.

Note 3 : 'pay' means Basic Pay and stagnation increments as per paragraph 13(3)

VI. Hill Station Allowance :

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, Hill Station allowance payable to Development Officers shall be as follows :

Place of Posting	Rate
(i) At places situated at a height of 1500 metres and over above mean sea level.	3% of Basic Pay subject to a maximum of Rs:180/- per month.
(ii) At places situated at a height of 1000 metres and over but less than 1500 metres above mean sea level at Mercara and at places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central/State Governments for their employees.	2.5% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.150/- per month.
(iii) At places not less than 750 metres and surrounded by and accessible only through hills with the height of 1000 metres and over.	2.5% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.150/- per month.

VII. Allowance for Technical Qualifications :

(1) With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, the allowance for Technical Qualifications shall be paid as under :

(2) A confirmed Development Officer who qualifies or has qualified in an examination mentioned in the Column (1) of the Table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination, or with effect from the date of publication of this scheme, whichever is later, the allowance for technical qualifications mentioned in column (2) of the Table below :

Provided that not more than one qualification allowance shall be permissible to him.

Table

Examination	Allowance for Technical Qualifications per month	
(1)	(2)	(3)
	(Revised)	(Pre-revised)
Insurance Institute of India or Chartered Insurance Institute *On Completion of* :		
(i) Licentitate	Rs.95/-	Rs.48/-
(ii) Associateship	Rs.285/-	Rs.144/-
(Iii) Fellowship	Rs.475/-	Rs.240/-
Institute of Actuaries :		
(iv) On passing each subject	Rs.95/-	Rs.48/-
Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accounts :		
***On Completion of* :**		
(v) Intermediate examination	Rs.190/-	Rs.96/-
(vi) Final Group A or Group B	Rs.355/-	Rs.180/-
(vii) Final Group A and Group B	Rs.475/-	Rs.240/-

(3) The grant of allowance for technical qualification shall not affect the seniority of the Development Officer concerned.

(4) The revised allowance for technical qualification as mentioned in column (2) of the table above shall not count for the purpose of any Allowance. However, the said revised allowance, shall count to the extent of pre-revised allowance as mentioned in column (3) against each examination, for the purpose of Provident Fund, Pension and fixation on promotion from Class II to Class I cadre, The said pre-revised allowance alongwith notional dearness allowance thereon as on the date of publication of this scheme as per Schedule D shall count for the purpose of Gratuity and encashment of earned leave.

VIII. Fixed Personal Allowance to Development Officers who have received Increment on Account of Computerisation effective from 1.11.1993 :

With effect from 1st day of August,1997, the Fixed Personal Allowance payable to Development Officers as per item VIII of the Schedule D shall stand revised as shown in the Table below :

Table

Development Officers in the scale of pay of	Existing Fixed Personal Allowance as per item VIII of the Schedule –D	Revised Fixed Personal Allowance
(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.
Development Officer Grade I	230	360
Development Officer Grade II	130	260

The revised Fixed Personal Allowance shall not qualify for Dearness Allowance and House Rent Allowance. However, the pre-revised increment component of Fixed Personal Allowance as mentioned in column (2) of the above table shall rank for Provident Fund and Pension. The said pre-revised increment component and Dearness Allowance thereon as on 1-11-1993 shall rank for Gratuity, and encashment of earned leave.

IX. Computer Increment/Fixed Personal Allowance to Development Officers joining service after 1.11.1993 but before the date of publication of this scheme in the Official Gazette:

(1) All confirmed Development Officers who have joined the services of the Company after 1.11.1993 but before the date of publication of this scheme in the Official Gazette, shall be paid, with effect from the date of publication of this scheme in the Official Gazette, on account of computerisation, one increment in the scale of pay as may be applicable to the concerned Development Officer on the date of publication of this scheme in the Official Gazette:

Provided that a Development Officer who, on his first appointment in the service of the Company, was on probation on or before the date of publication of this scheme shall be paid one increment on completion of one year of service after the date of his confirmation:

Provided further that no such increment shall be payable to the Development Officers joining the services of the Company on or after the date of publication of this scheme

(2) A Development Officer who is in receipt of his increment on account of computerisation as per sub-item (1) of this item and who subsequently reaches the maximum of the scale of pay applicable to him, shall be paid, on the expiry of a period one year of reaching the maximum of scale of pay, Fixed Personal Allowance equivalent to the amount of last increment in the scale of pay applicable to him on the date of publication of this scheme.

Provided that the Fixed Personal Allowance shall not qualify for payment of Dearness Allowance or House Rent Allowance:

Provided further that from out of the Fixed Personal Allowance, the amount as specified in column(2) of the Table below, in respect of each scale of pay, shall rank for Provident Fund and Pension and the said amount along with dearness allowance thereon as on 1.11.1993 shall rank for Gratuity and encashment of earned leave.

Table

Development Officers in the scale of pay of	The amount which shall count for Provident Fund,etc.
(1)	**(2)**
	Rs.
Development Officer Grade – I	230
Development Officer Grade - II	130

X ONE TIME LUMPSUM PAYMENT IN LIEU OF PRODUCTIVITY LINKED LUMPSUM INCENTIVE(PLLI) :

In lieu of PLLI, Development Officers will be paid for the period from 1.8.1997 to 31.3.1999 one time lumpsum payment of 1.67% of the Wage Bill of the General Insurance Industry for Development Officers as on 1.8.1997 (pre revised) .

XI. PRODUCTIVITY LINKED LUMPSUM INCENTIVE(PLLI)SCHEME :

For the period 1.4.1999 to 31.3.2002, PLLI shall be payable as per Appendix:

[F. No. 2 (14)-Ins.-III/97 (viii)]

AJIT M. SHARAN, Jt. Secy.

FOOT NOTE :- The principal Scheme was published vide Notification No. S.O. 327 (E) dated 29-4-1976 subsequently amended, by Notification No. S.O.761 (E) dated 1-12-1976, S.O. 2444 dated 30-7-1977, S.O. 1048 dated 29-3-1978, S.O. 414 (E) dated 28-6-1978, S.O. 3430 dated 16-11-1978, S.O. 80 (E) dated 13-2-1987, S.O. 781 (E) dated 22-8-1988, S.O. 478 (E) dated 13-6-1990, S.O. 766 (E) dated 19-10-1990, S.O. 201 (E) dated 10-3-1992, S.O. 82 (E) dated 2-2-1994, S.O. 593 (E) dated 30-6-1995, S.O. 522 (E) dated 18-7-1996, S.O. 145 (E) dated 25-2-1997 and S.O. 730 (E) dated 27.8.1998. S.O.696 (E) dated 30.8.1999

APPENDIX

PRODUCTIVITY LINKED LUMPSUM INCENTIVE (PLLI) SCHEME
(See Item XI)

1. PLLI would be based on the Wage Bill of the General Insurance Industry of Company or Corporation, as the case may be, for employees as on 1.8.1997 (pre-revised).

2. **Eligibility :**

Grant of PLLI would be measured on the basis of following parameters :

a) Issue of renewal notices - pre-requisite for eligibility.

Issuance of renewal notices in time limit shall be mandatory i.e. to issue the Renewal Notices in respect of policies expiring in a particular month by the 15th of the previous month.

b) Claim settlement ratio

Claim settlement ratio means the ratio arrived at by the following formula, (rounded off to the number leaving decimals), namely :-

$$\frac{\text{Claims settled during the year}}{\text{Claims outstanding at the beginning of the year plus claims intimated during the year}} \times 100$$

c) Documentation ratio

Documentation ratio means the ratio arrived at by the following formula, (rounded off to the number leaving decimals), namely :-

$$\frac{\text{Documents issued during the year}}{\text{Documents outstanding at the beginning of the year plus documents incepted during the year}} \times 100$$

d) Control of Management Expenses Ratio (MER)

PLLI would be payable in the event the Management Expenses Ratio for the individual Company is within the limits prescribed in the Insurance Act/ Insurance Rules.

Explanation : 1. Parameters mentioned in sub-paragraph (a), (b) and (c) will be applicable for grant of PLLI as per clause (a) of Part A of paragraph 4.1;
2. Parameter (d) will be applicable for grant of PLLI as per clause (b) of Part A of paragraph 4.1

3. Parameters (Threshold level and Benchmark level of performance) :

The PLLI would depend on performance levels in defined parameters. The performance level in each of the parameters would consist of two elements (a) Threshold level and (b) Benchmark levels.

Threshold level of performance will be the actual levels of performance of the respective Companies in the preceding year.

Benchmark level shall be 1% increase over Threshold Level:
Provided that where 99% documentation is already achieved, Benchmark will be fixed at 0.5% increase over Threshold level recorded:
Provided further that a marginal shortfall in any of the parameters may be condoned by the Board .

Whereas the benchmark standards would be uniform for all the Companies, the levels of Performance would be evaluated on Company-wise basis for Part A and Industry as a whole for Part B of the PLLI scheme.

4. PLLI Payment Scale

4.1.1 The PLLI payable would reckon under two parts–Part A and Part B as under :

Part (A) : On Company-wise performance basis:

PLLI upto a maximum of 2% would be payable for achievement of benchmark levels in Customer Service parameters given below and 1% PLLI would be payable in the event the Management Expenses Ratio (MER) for the individual Company is within the limits prescribed in the Insurance Act, 1938 / Insurance Rules.

Parameter	Scale of Incentive payable
a).**Customer Service parameters**:	
1. Renewal notice – Mandatory	Nil
2. Claims settlement	1.00%
3. Document issuance/disposal	1.00%
b)**MER parameter** 4. MER within the prescribed statutory limit	1.00%
Aggregate limit for payment of PLLI Under Part A	**3.00%**

4.1.2 Payment of PLLI under Part A would be subject to Gross Profit earned by the Company for the year of performance.

4.2 Part (B) : On Industry Average Basis

PLLI upto 3% would be payable for reduction of Management Expenses ratio (MER) on the following scale:-

	Percentage reduction required in MER (on Industry Average)	Incentive payable (On pro-rata basis)
Stage I	From 21% to 19.5% (reduction upto 1.5%)	1.5%
Stage II	From 19.5% to 19% (reduction upto 0.5%)	1.00%
Stage III	For reduction in MER below 19%)	0.50%

Aggregate limit for payment of PLLI Under Part B	**3.00%**
Aggregate limit for payment of PLLI Under Part A + Part B	**6.00%**

4.2.1 Payment of PLLI under Part B would be subject to Gross Profit earned by the General Insurance Industry for the year of performance

4.3 The maximum amount of PLLI payable shall be at 6% of the wage bill as on 1.8.1997(pre-revised).

Explanation: 1: At stage I, the scale of payment of PLLI would be proportionate to reduction in MER. e.g. in case the MER is reduced by 0.5%, PLLI payable would be 0.5% of wage bill as on 1.8.1997(pre-revised).

2: At stage II, the scale of payment of PLLI would be in the ratio of 1:2 corresponding to the reduction in MER. e.g. for every 0.10% reduction in the MER below 19.5%, PLLI payable would be 0.2% of wage bill as on 1.8.1997(pre-revised).

3. . MER calculation would include PLLI paid in the year of payment

5. **Payment of PLLI :**

The PLLI will be payable after the achievement of the performance with reference to the prescribed benchmark based on the audited accounts for the relevant accounting year.

The PLLI will be distributed as a lumpsum annually after 1st August each year, after the audited figures are available.

6. Suitable Monitoring and Reporting System would be devised by the Corporation or Company to measure the performance level of the Corporation or Company under each parameter. "

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the scales of pay and conditions of service in respect of Development Officers of Subsidiary Companies with effect from 1st April, 1999. The Scheme of the Development Officers is being amended accordingly with effect from the dates specified in the notification.

It is certified that no Development Officer of the Subsidiary Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2000

का. आ. 589 (अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिबृंद के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना—

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिबृंद के मेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) संशोधन स्कीम, 2000 है।

(2) इस स्कीम के उपबंध, इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय 1 अगस्त, 1997 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) यह स्कीम ऐसे सभी कर्मचारियों को लागू होगी जो 1-8-1997 को निगम या कंपनी के पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिबृंद काडर में पूर्णकालिक कर्मचारी हैं :

परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनके त्यागपत्र 1-8-1997 और इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के दौरान स्वीकार कर लिए गए थे या उस अवधि के दौरान जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं; पुनरीक्षण के कारण बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे।

(4) इस स्कीम की कोई बात, किसी कर्मचारी को इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व उसके अतिकाल भत्ते की हकदारी से अधिक भत्ते का दावा करने के लिए हकदार नहीं बनाएगी।

2. उक्त स्कीम के,

(i) पैरा 3 में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङक) "उपान्तरित निबंधन" से सातवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उपान्तरित वेतनमान और भत्ते अभिप्रेत हैं,

(ङख) "उपान्तरित वेनतमान" से सातवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उपान्तरित वेतनमान अभिप्रेत है।"

(ii) पैरा 4 में, उप पैरा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(10) 1 अगस्त, 1997 से, प्रत्येक कर्मचारी के वेतन और भत्ते उपान्तरित निबंधनों के अनुसार होंगे। उस तारीख को सेवा में प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन और उस तारीख के पश्चात् किन्तु इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पूर्व नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन पैरा 6ङ के उपबन्धों के अनुसार, उपान्तरित वेतनमान के अनुसार होगा;

(11) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को जिसका मूल वेतन इस स्कीम के पैरा 6ङ के उपबन्धों के अनुसार उपान्तरित वेतनमान में नियत किया गया है, उपान्तरित वेतनमान में नियतकरण की तारीख से, 1 अगस्त, 1997 या उसकी नियुक्ति की तारीख से, प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए या उस तारीख से जिससे उसने इस स्कीम के उपबन्धों द्वारा शासित होने का विकल्प लिया है, इनमें जो पश्चात्वर्ती हो, मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, यदि कोई है, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते (कर्मचारी का भविष्य निधि में अनिवार्य अभिदाय काटने के पश्चात्) "उपान्तरित निबन्धनों" और "परिवर्तित निबन्धनों" जो उसे लागू हों, के बीच का अन्तर संदत्त किया जाएगा :

परन्तु यह कि :—

(i) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो 1 अगस्त, 1997 के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया था, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए, उप पैरा (11) में यथाविनिर्दिष्ट रकम के अन्तर का, उपदान की राशि के अन्तर, यदि कोई है, जो इस स्कीम से उद्भूत हुआ है, के साथ संदत्त किया जाएगा,

(ii) ऐसे कर्मचारी के मामले मे जिसकी सेवा में रहते हुए, 1 अगस्त, 1997 को या उसके पश्चात् मृत्यु हो गई थी, उप पैरा (11) में यथा विनिर्दिष्ट राशि का अन्तर, उसकी मृत्यु की तारीख तक की अवधि के लिए उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा जिसे उसकी भविष्य निधि संदत्त की गई थी या की जाएगी और उपदान की रकम का अन्तर, यदि कोई है, जो इस स्कीम से उद्भूत हुआ है, उस व्यक्ति को संदत्त किया जाएगा जिसे उसकी उपदान की रकम संदत्त की गई थी या की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो एक अगस्त, 1997 को या उसके पश्चात् पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द काडर से अधिकारी काडर में प्रोन्नत हुआ है या जिसे विकास अधिकारी के रूप में संपरिवर्तित कर दिया गया है, ऊपर निर्दिष्ट राशि (उपदान राशि के अन्तर को अपवर्जित करते हुए) का अन्तर अधिकारी के रूप में उसकी प्रोन्नति की तारीख तक या विकास अधिकारी के रूप में संपरिवर्तन तक, उपांतरित निबंधनों में उसके मूल वेतन के संद्धान्तिक नियतन के आधार पर संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—उप पैरा (ii) के प्रयोजन के लिए, "अन्य भत्ते" पद से किसी कर्मचारी की यथा अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, कृत्यकारी भत्ता, पर्वतीय स्थान भत्ता, स्नातक भत्ता, तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता, सवारी भत्ता, पारादीप पत्तन भत्ता और अस्थायी वैयक्तिक भत्ता अभिप्रेत है।"

(iii) पैरा 6घ के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6ङ उपांतरित वेतनमान में मूल वेतन और भत्तों का नियतन—

(iii) 1 अगस्त, 1977 को सेवारत तथा इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् सेवा में बने रहने वाले प्रत्येक कर्मचारी का वेतनमान और अन्य भत्ते ऐसी तारीख से जो नीचे उल्लिखित प्रत्येक मद के सामने की तारीख से पूर्व की तारीख न हो, "उपांतरित निबंधनों" के अनुसार होंगे :—

मद	प्रभावी तारीख
1. अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमान, महंगाई भत्ता, गृह किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, भविष्य निधि, विशेष कृत्यकारी भत्ता, नियत वैयक्तिक भत्ता (ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें 1-11-1993 से कंप्यूटर) वेतन वृद्धि मिली है), अस्थायी वैयक्तिक भत्ता	1 अगस्त, 1997
2. अन्य भत्ते, अर्थात् रोकड़िया को भत्ता, सहायक को स्नातक भत्ता, तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता, सवारी भत्ता, पारादीप पत्तन भत्ता और पर्वतीय स्थान भत्ता	इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के तुरन्त पश्चत् वाले माह का प्रथम दिन

(2) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के मामले में जिसे यह स्कीम लागू होती है, उसका वेतनमान और अन्य भत्ते उपांतरित निबंधनों के अनुसार उस तारीख से होंगे जो उपरोक्त प्रत्येक मद के सामने उल्लिखित तारीख या उसकी नियुक्ति की तारीख जो, इनमें से पश्चातवृत्ति हो, पूर्वतर नहीं हों।

(3) उप पैरा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मचारी यह विकल्प ले सकेगा कि उसक वेतनमान और अन्य भत्ते उसके मामले में, उपरोक्त उप पैरा (1) में उल्लिखित तारीखों से या उसके पश्चात् किसी तारीख से जो इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या उससे पूर्व हो, जिसे वह लिखित में अपना विकल्प निगम या कंपनी को ऐसी अवधि के भीतर जो निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा विहित की जाए, संसूचित करेगा, नियत किए जाएं :

परन्तु ऐसे कर्मचारी को 1 अगस्त, 1997 से इस प्रकार विकल्प में दर्शित तारीख तक की अवधि के लिए किसी बकाया का संदाय नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि 1-8-1997 से इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक के बकाया की संगणना करते समय यदि परिवर्तित कुल परिलब्धियों भविष्य निधि की कटौती के पश्चात् और उपांतरित कुल मासिक परिलब्धि भविष्य निधि की कटौती के पश्चात्, के बीच शुद्ध अन्तर ऋणात्मक है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(ii) पैरा 7 में, उप पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) ऐसे कर्मचारी के संबंध में जिसका मूल वेतन 1 अगस्त, 1997 को या पैरा 6ङ के अधीन इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को उपांतरित वेतनमान में अधिकतम नियत किया गया है और ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो अपनी सेवा की अवधि के दौरान उसके पश्चात् किसी समय उपांतरित वेतनमान की अधिकतम पर पहुंच जाएगा, ऐसा अधिकारी जो सहायक प्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो और जिसे इस निमित्त निगम/कंपनी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, कार्य अभिलेख से समाधान होने के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित के लिए विचार कर सकेगा।

(क) यथास्थिति, सहायक अभिलेख लिपिक, चालक या अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमान में प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को उसके द्वारा की गई निरन्तर सेवा के प्रत्येक दो वर्ष के लिए, उपांतरित वेतनमान में अधिकतम पर पहुंचने पर उसके द्वारा ली गई अंतिम वेतनवृद्धि की दर पर एक वेतनवृद्धि मंजूर करना और ऐसी पांच वेतनवृद्धियों से अधिक वेतनवृद्धियां मंजूर नहीं की जाएंगी :

परन्तु पांचवी रुद्ध वेतनवृद्धि, यथास्थिति, सहायक, अभिलेख लिपिक, चालक या अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमान में किसी कर्मचारी को चौथी रुद्ध वेतननृद्धि की प्राप्ति की तारीख से दो वर्ष पूरा करने के पश्चात् या इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के अगले मास के पहले दिन से, इनमें जो पश्चात्वर्ती हो, मंजूर की जाएगी।

(ख) वरिष्ठ सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में ऐसे कर्मचारी को उपांतरित वेतनमान में उसके उपांतरित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख के पश्चात् उसके द्वारा की गई निरंतर सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष के लिए उपांतरित वेतनमान में अंतिम वेतनवृद्धि की दर पर एक वेतन वृद्धि मंजूर करना और ऐसी चार वेतनवृद्धियों से अधिक वेतनवृद्धियां मंजूर नहीं की जाएंगी :

परंतु चौथी रुद्ध वेतनवृद्धि, यथास्थिति,वरिष्ठ सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में किसी कर्मचारी को उसकी तीसरी रुद्ध वेतनवृद्धि की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष पूरा होने के पश्चात् या इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें जो पश्चात्वर्ती हो, मंजूर की जाएगी ।

(ग) ऐसे कर्मचारी को अधीक्षक के वेतनमान में उसके द्वारा की गई निरन्तर सेवा के प्रत्येक तीन वर्ष के लिए उपांतरित वेतनामन में उपांतरित वेतनमान की अधिकतम पर पहुंचने की तारीख के पश्चात् उसके द्वारा अंतिम ली गई वेतनवृद्धि की दर पर एक वेतनवृद्धि मंजूर करना और ऐसी दो से अधिक वेतनवृद्धियां मंजूर नहीं की जाएंगी :

परन्तु दूसरी रुद्ध वेतनवृद्धि अधीक्षक के वेतनमान में किसी कर्मचारी को उसकी पहली रुद्ध वेतनवृद्धि की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष पूरा करने के पश्चात् या इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगले महीने की पहली तारीख से, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, मंजूर की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजन के लिए 'निरन्तर सेवा' से ऐसी कार्य अवधि अभिप्रेत है जिसमें असाधारण छुट्टियां सम्मिलित नहीं हैं।

(v) पैरा 10 में निम्नलिखित, इस स्कीम के रापजत्र में प्रकाशन की तारीख से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

(1) उप-पैरा 5 के परन्तुक में,

(क) "आठ" शब्द के स्थान पर "नौ" शब्द रखा जाएगा;

(ख) "वृक्क रोग" शब्दों के पश्चात् "एड्स" शब्द अन्त:स्थापित किया जाएगा; और

(2) उप पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखत रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) **प्रसूति छुट्टी**—महिला कर्मचारी किसी एक अवसर पर एक सौ अस्सी दिनों से अनधिक की प्रसूति छुट्टी की हकदार होगी। जन्म-पूर्व और जन्मोत्तर अवधियों के बीच छुट्टियों की विस्तृति कर्मचारी की सुविधा पर छोड़ दी जाएगी :

परन्तु अधिकतम प्रसूति छुट्टी संपूर्ण सेवाकाल की अवधि के दौरान गर्भपात/गर्भ का चिकित्सीय समापन सहित, बारह मास से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां ऐसी महिला कर्मचारी जिसके तीन या अधिक जीवित बच्चे हैं, प्रसूति के लिए छुट्टी लेती है, वहां ऐसी छुट्टियां को उपार्जित छुट्टी माना जाएगा और यदि उपार्जित छुट्टियां नहीं हैं तो रुग्णता छुट्टी माना जाएगा, यदि उसे ऐसी छुट्टी देय है।"

(3) उप पैरा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा (6क) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6क) **दत्तक ग्रहण छुट्टी** :—किसी संतानविहीन महिला कर्मचारी को सेवा के दौरान एक बार ऐसे बच्चे को जो एक वर्ष की आयु से कम है, विधिपूर्ण रूप से दत्तक ग्रहण करने के लिए, छुट्टी मंजूरी की जा सकेगी। छुट्टी की अधिकतम अवधि दो महीने या जब तक कि बच्चा एक वर्ष का नहीं हो जाता है, इनमें जो भी पूर्वतर हो, की होगी :

परन्तु ऐसी छुट्टी केवल एक बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए मंजूर की जाएगी :

परन्तु यह और कि बच्चे का दत्तक ग्रहण उचित विधिक प्रक्रिया के माध्यम से हो और निगम/कंपनी को दत्तक ग्रहण विलेख की प्रमाणित सत्य प्रति दी गई हो।"।

(vi) पैरा 11 में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (iii) अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) एक अगस्त, 1997 से प्रारंभ होने वाली अवधि उपान्तरित निबंधनों के निर्देश से संगणित की जाएगी।"

(vii) छठी अनुसूची की मद vi के तैनाती का स्थान से संबंधित खंड (क) में "बारह लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों" शब्दों और अंकों के पश्चात् 1 अगस्त, 1992 से "फरीदाबाद, गाजियाबाद, नौएडा, गुडगांव, वाशी, गांधीनगर और गोवा राज्य का कोई नगर" शब्द अन्त:स्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(viii) छठी अनुसूची की मद vii के दूसरे पैरा के "तैनाती का स्थान" से संबंधित सतंभ में के खंड (क) में "और गोवा राज्य में कोई अन्य नगर" शब्दों के स्थान पर "गोवा राज्य में कोई अन्य नगर, वाशी और गांधीनगर" शब्द 1 अप्रैल, 1993 से अन्त:स्थापित किए गए समझे जाएंगे।

(ix) छठी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित सातवीं अनुसूची अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सातवीं अनुसूची

[पैरा 3 (ङक) और (ङख) देखिए]

1. उपान्तरित वेतनमान (मूल वेतन)

क. पर्यवेक्षकीय और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द

(1) अधीक्षक (बाह्य काडर)†

6515-360(15)-11915 रुपए

(2) वरिष्ठ सहायक

4655-285(4)-5795-360(15)-11195 रुपए

(3) आशुलिपिक

4655-285(4)-5795-360(15)-11195 रुपए

(4) सहायक, टंकक, टेलीफोन आपरेटर, टैलेक्स आपरेटर, स्वागतकर्ता, पंच कार्ड आपरेटर, एकक् अभिलेख मशीन आपरेटर, काम्पटिस्ट और अन्य समतुल्य पद :

3385-185(1)-3570-205(2)-3980-225(5)-5105-270(2)-5645-300(3)-6545-325(2)-7195-360(5)-8995 रुपए

(5) अभिलेख लिपिक :

3165-120(2)-3405-135(5)-4080-145(1)-4225-165(2)-4555-185(3)-5110-195(4)-5890-210(3)-6520-235(1)-6755 रुपए

ख. अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द :

(1) चालक :

3165-120(2)-3405-135(15)-5430-165(4)-6090 रुपए

(2) अन्य अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द :

2790-110(5)-3340-115(8)-4260-135(4)-4800-165(2)-5130 रुपए

†निगम या कम्पनी द्वारा अधीक्षक के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जानी है।

(1) 1 अगस्त, 1997 को सेवा में प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन जो इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सेवा में निरन्तर बना रहता है, 1 अगस्त, 1997 से या उसके विकल्प की तारीख से, इनमें जो पश्चात्वर्ती हो, उसके उपान्तरित वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

(2) 1 अगस्त, 1997 के पश्चात् नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन जो इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सेवा में निरन्तर बना रहता है, उसकी नियुक्ति की तारीख से या विकल्प की तारीख से, इनमें जो पश्चात्वर्ती हो, उसके उपान्तरित वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

(3) ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का मूल वेतन जो 1 अगस्त, 1997 को या उसके पश्चात् सेवा में था और राजपत्र में इस स्कीम के प्रकाशन पर या उसके पूर्व सेवानिवृत हो गया है या मर गया है, 1-8-1997 से या उसकी नियुक्ति की तारीख से, इनमें जो पश्चात्वर्ती हो, उनके उपान्तरित वेतनमान में तत्स्थानी प्रक्रम पर नियत किया जाएगा।

11. कृत्यकारी भत्ते :

(1) विशेष कृत्यकारी भत्ता

(क) 1 अगस्त, 1997 से ऐसे कर्मचारियों को जो निम्नलिखित कृत्यों में से किसी में उनके नियमित या मुख्य कृत्य के रूप में लगे हुए हैं, निम्न प्रकार उपदर्शित रूप से कृत्यकारी भत्ता संदत्त किया जाएगा :—

अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द जो लिफ्टमैन, मशीन आपरेटर, प्रधान चपरासी, जमादार, दफ्तरी, वातानुकूलित संयंत्र आपरेटर, भारी यान चालक, की होल्डर या जनित्र आपरेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं और ऐसे अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द जो बैंक से या बैंक को नकद ले जाते हैं या लाते हैं जहां किसी कलेंडर मास में ले जाने वाले नकदी की राशि सामान्यतया पच्चीस हज़ार रुपए या उससे अधिक है, 165 रु. प्रति माह

(ख) इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगले मास के पहले दिन से ऐसे कर्मचारियों को जो निम्नलिखित कृत्यों में से किसी में उनके नियमित या मुख्य कृत्य के रूप में लगे हुए हैं, निम्नलिखित उपदर्शित रूप में कृत्यिक भत्ता संदत्त किया जाएगा :—

रोकड़िया जो किसी कार्यालय में जहां किसी कलेंडर मास में कुछ नकद संव्यवहार साधारणतया पच्चीस हज़ार रुपए या उससे अधिक है, संभालता है, 415 रु. प्रति माह

टिप्पण 1.—उपरोक्त उपखंड (क) के अधीन अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द को संदेय सम्पूर्ण विशेष कृत्यकारी भत्ता मूल वेतन के रूप में संगणित किया जाता रहेगा।

टिप्पण 2.—उपखंड (ख) के अधीन विशेष कृत्यकारी भत्ता मूल वेतन के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा। उक्त विशेष कृत्यकारी भत्ता किसी अन्य भत्ते के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा। तथापि, पुनरीक्षित विशेष कृत्यकारी भत्ता, 210 रु. प्रति माह के पुनरीक्षण पूर्व विशेष कृत्यकारी भत्ते की सीमा तक, भविष्य निधि, पेंशन और प्रोन्नति पर वेतन नियतन के लिए माना जाएगा। इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख पर, 210 रु. प्रति मास का उक्त पुनरीक्षण पूर्व कृत्यकारी भत्ता और उस पर महंगाई भत्ता, परिवर्तित निबंधनों के अनुसार, उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए माना जाएगा।

(2) अन्य कृत्यकारी भत्ता

1 अगस्त, 1997 से अन्य कृत्यकारी भत्ता निम्न प्रकार संदत्त किया जाएगा।

(क) टेलेक्स आपरेटर, पंप कार्ड आपरेटर, एकक अभिलेख मशीन आपरेटर और काम्पटिस्ट 60 रु. प्रति माह

(ख) निगम के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और समतुल्य पदों के आशुलिपिक 75 रु. प्रति माह

(ग) लेखा परीक्षा सहायक 240 रु. प्रति माह

टिप्पण 1.—कृत्यकारी भत्ता लेने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या और नाम अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक या प्रबंध निदेशक या इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो कार्य की मात्रा और प्रशासनिक अपेक्षाओं पर आधारित होगा।

टिप्पण 2.—कोई कर्मचारी एक समय पर केवल एक कृत्यकारी भत्ता लेगा।

टिप्पण 3.—छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारी को असाधारण छुट्टी की अवधि से भिन्न उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान कृत्यकारी भत्ते का संदाय किया जाएगा यदि वह अपनी छुट्टी की समाप्ति पर उसी हैसियत में अपना कार्य ग्रहण करता है।

टिप्पण 4.—कोई कर्मचारी, अधिकार के रूप में कृत्यकारी भत्ता प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट पद के कार्य के आबंटन का हकदार नहीं होगा, जो उस हैसियत/पद से जुड़ा हुआ है।

टिप्पण 5.—कोई कर्मचारी कृत्यकारी भत्ते वाली हैसियत में कार्य करने से इंकार नहीं करेगा या यह शर्त नहीं लगाएगा कि उसे ऐसा भत्ता संदाय किया जाए जहां किसी पदधारी की अनुपस्थिति के कारण या कार्य की अस्थायी दबाव के कारण उसके कार्यालय के प्रधान द्वारा ऐसा कार्य सौंपा गया है।

3. महंगाई भत्ता :

(1) कर्मचारियों को लागू महंगाई भत्ते की दर निम्न प्रकार अवधारित की जाएगी :

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार : शृंखला 1960 में सूचकांक 1740 = 100

दर : 1740 अंकों के ऊपर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के त्रैमासिक औसत में प्रत्येक चार अंकों के लिए कर्मचारियों को मूल वेतन के 0.23 प्रतिशत की दर पर महंगाई भत्ता संदत्त किया जाएगा।

महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण : प्रत्येक चार अंकों के उठने या गिरने के लिए त्रैमासिक आधार पर महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता औसत मूल्य सूचकांक में 1740 अंकों से ऊपर त्रैमासिक आधार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "चालू औसत आंकड़ा" कहा गया है) पर 1740-1744-1748-1752 इत्यादि की शृंखला में प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि के लिए, संदेय महंगाई भत्ते का ऊपर की ओर पुनरीक्षण होगा और यदि चालू औसत आंकड़ा ऊपर उस शृंखला के, जिसके प्रतिनिर्देश में अन्तिम पूर्ववर्ती तिमाही के लिए महंगाई भत्ता संदत्त किया गया है, सूचकांक में, चार अंक की कमी होती है तो महंगाई भत्ते का नीचे की ओर पुनरीक्षण होगा। नीचे की ओर पुनरीक्षण पर, यदि ऐसा चालू औसत आंकड़ा ऊपर शृंखला में का कोई अंक है तो, संदेय महंगाई भत्ता उस चालू औसत आंकड़े के समरूप होगा और यदि ऐसा चालू औसत आंकड़ा ऊपर शृंख्ला में का कोई अंक नहीं है तो संदेय महंगाई भत्ता ऊपर शृंखला में के उस अंक के समरूप होगा, जो चालू औसत आंकड़े से ठीक पहले है।

(3) इण्डियन लेबर जर्नल या राजपत्र में यथा प्रकाशित, इनमें जो प्रकाशन पूर्वतर उपलब्ध हो, अन्तिम सूचक अंक वह सूचक अंक होगा जो महंगाई भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा।

(4) चालू औसत आंकड़ा में किसी विशिष्ट तिमाही के लिए परिवर्तनों के अनुरूप मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण तिमाही के अगले दूसरे उत्तरवर्ती महीने से प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरण :—इस मद के प्रयोजनों के लिए, मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर मास के अन्तिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है।

IV. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता :

(1) इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगले महीने के पहले दिन से तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते का संदाय निम्न प्रकार किया जाएगा।

(2) ऐसे पुष्टिकृत कर्मचारी को, जो अर्ह है या जिसने नीचे सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हैं, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो पश्चात्वर्ती हो, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते का संदाय किया जाएगा :

परन्तु उसे एक से अधिक अर्हता भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

सारणी

परीक्षा	तकनीकी अर्हता के लिए भत्ता (प्रतिमाह)	
(1)	(2)	(3)
	(पुनरीक्षित)	पुनरीक्षण पूर्व
भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान		
निम्नलिखित के पूरा करने पर :		
(i) लाइसैंशिएट	95 रु.	48 रु.
(ii) उप-सदस्यता	285 रु.	144 रु.
(iii) अधि-सदस्यता	475 रु.	240 रु.
बीमांकक संस्थान		

(iv) प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने पर	95 रु.	48 रु.
चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान या लागत और संकर्म लेखा संस्थान		
निम्नलिखित के पूरा करने पर :		
(v) इंटरमीडिएट परीक्षा	190 रु.	96 रु.
(vi) अंतिम समूह क और समूह ख	335 रु.	180 रु.
(vii) अंतिम समूह क और समूह ख	475 रु.	240 रु.
निम्नलिखिम के पूरा करने पर :		
(viii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन	475 रु.	240 रु.

(3) तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते की मंजूरी संबद्ध कर्मचारी की ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं करेगी।

(4) जहां कर्मचारी को पहले ही अग्रिम वेतन वृद्धि दी जा चुकी है या किसी उक्त परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई अन्य आवर्ती धनीय फायदा दिया जा चुका है वहां अर्हता भत्ते की रकम को उपयुक्त रूप से कम कर दिया जाएगा या उसे संदेय नहीं होगा जो उसके द्वारा पूर्व में प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर करेगा।

(5) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् एक वर्ष की सेवा के पूरी होने पर ऐसा कर्मचारी अर्हता भत्ता प्राप्त करेगा जिसकी राशि पूरी दर के आधे से कम नहीं होगी और उसके पश्चात् एक वर्ष की और सेवा के लिए उक्त अर्हता पूरा संदाय किया जाएगा।

(6) तकनीकी अर्हता के लिए पुनरीक्षित भत्ता, जैसा कि ऊपर सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित है, किसी अन्य भत्ते के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा। तथापि, उक्त पुनरीक्षित भत्ता, प्रत्येक परीक्षा के सामने स्तंभ (3) में यथा उल्लिखित पुनरीक्षण पूर्व भत्ता की सीमा तक, भविष्य निधि, पेंशन और श्रेणी 3 से श्रेणी 1 काडर में प्रोन्नति पर वेतन के लिए गणना में लिया जाएगा। इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को उक्त पुनरीक्षण पूर्व भत्ता, उस पर महंगाई भत्ता, सहित, परिवर्तित निबंधनों के अनुसार, उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : उप-मद 2 के खंड (viii) के प्रयोजनों के लिए "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था अभिप्रेत है।

V.स्नातक भत्ता :

(1) सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों को स्नातक वेतनवृद्धि/भत्ता :

इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगली पहली तारीख से सहायक के वेतनमान में कर्मचारियों को स्नातक वेतनवृद्धि/भत्ता निम्न प्रकार संदत्त किया जाएगा।

(क) ऐसा कर्मचारी जिसे सहायक के वेतनमान में किसी पद पर नियुक्त किया गया है या प्रोन्नत किया गया है और जिसने 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात् किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के रूप में अर्हता प्राप्त की है और वह वेतनमान के अधिकतम पर नहीं पहुंचा है, उसे परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन के अगले महीने के प्रथम दिन या सहायक के वेतनमान में नियुक्ति की तारीख से, इनमें जो पश्चात्वर्ती हो, वेतनमान में दो वेतनवृद्धियां मंजूर की जाएंगी, परन्तु यह तब जब कि वह पहले से ही स्नातक वेतनवृद्धि या अर्हता वेतन ऐसा स्नातक अर्हित होने के कारण प्राप्त नहीं कर रहा है या नियुक्ति पर कोई अग्रिम वेतनवृद्धि भूतपूर्व सैनिकों को मंजूर की जाने वाली परिलब्धियों की संरक्षा से भिन्न नहीं ले रहा है :

परन्तु यदि कोई कर्मचारी जो स्नातक के लिए वेतनवृद्धि का हकदार है, मूल वेतन के रूप में 8635 रु. प्राप्त कर रहा है तो उसे स्नातक के लिए एक वेतनवृद्धि मंजूर की जाएगी।

(ख) सहायक के वेतनमान में कोई कर्मचारी जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है और वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है, इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगले महीने के प्रथम दिन से, निम्नवत् पुनरीक्षित स्नातक भत्ता संदत्त किया जाएगा—

	पुनरीक्षण पूर्व स्नातक भत्ता प्रति मास	पुनरीक्षित स्नातक भत्ता प्रति मास
वेतनमान के अधिकतम पर पहुचंने के एक वर्ष पश्चात्	78 रु.	145 रु.
वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के दो वर्ष पश्चात्	156 रु.	285 रु.

(ग) ऊपर यथादर्शित पुनरीक्षित स्नातक भत्ता मूल वेतन के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा। पुनरीक्षित स्नातक भत्ता किसी भत्ते के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा। तथापि, पुनरीक्षित स्नातक भत्ता, पुनरीक्षण पूर्व स्नातक भत्ता की सीमा तक, भविष्य निधि और पेंशन के लिए और प्रोन्नति पर वेतन नियतन के लिए गणना में लिया जाएगा। इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को उक्त पुनरीक्षण पूर्व स्नातक भत्ता, उस पर महंगाई भत्ता सहित, परिवर्तित निबंधनों के अनुसार, उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : उपरोक्त उप-मद के प्रयोजनों के लिए "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

(2) अभिलेख लिपिकों को स्नातक भत्ता :

अभिलेख लिपिकों के वेतनमान में कर्मचारियों को स्नातक भत्ता निम्न प्रकार संदत्त किया जाएगा :

अभिलेख लिपिक के वेतनमान में कोई कर्मचारी जिसने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के रूप में अर्हता प्राप्त की है, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या अभिलेख लिपिक के रूप में प्रोन्नति की तारीख से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, 96 रुपए प्रति माह का स्नातक भत्ता संदत किया जाएगा।

टिप्पण : अभिलेख लिपिक के वेतनमान में कर्मचारियों को संदेय स्नातक भत्ता न तो विशेष भत्ते के रूप में समझा जाएगा और न ही यह अन्य प्रयोजन के लिए मूल वेतन के रूप में समझा जाएगा या गणना में लिया जाएगा और यह कर्मचारी की प्रोन्नति पर वापस ले लिया जाएगा।

VI **मकान किराया भत्ता :**

(1) 1 अगस्त, 1997 से पर्यवेक्षीय लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द को संदेय मकान किराया भत्ते की दर पर नीचे सारणी में यथादर्शित होगा :

सारणी

	तैनाती का स्थान	प्रति माह दर
(क)	मुम्बई, नवीं मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और चेन्नई नगर	अधिकतम 1200 रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन का 11 प्रतिशत
(ख)	(क) में उल्लिखित नगरों को छोड़कर बारह लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, गांधीनगर और गोवा राज्य में सभी नगर	अधिकतम 1000 रुपए प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन का 9 प्रतिशत
(ग)	सभी अन्य स्थान	अधिकतम 950 रुपये प्रति मास के अधीन रहते हुए वेतन का 8 प्रतिशत

टिप्पण 1 : इस मद के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आंकड़े वही होंगे जो अन्तिम गणना रिपोर्ट में हैं

टिप्पण 2 : नगरों में उनकी बस्तियां सम्मिलित हैं।

टिप्पण 3 : वेतन से पैरा 7(2) के अनुसार मूल वेतन और रुद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(2) ऐसे कर्मचारी जिन्हें निवास सुविधा/स्टाफ क्वार्टर आवंटित किए गए हैं, किसी गृह किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे किन्तु वे ऐसी सुविधाओं के लिए निगम/कम्पनी को समय-समय पर निगम के बोर्ड द्वारा विनिश्चित समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे। परन्तु ऐसा कर्मचारी जिसे निवास सुविधा/स्टाफ क्वार्टर 1 अप्रैल, 1983 से पूर्व आवंटित किया गया है और जो उक्त स्कीम की चतुर्थ अनुसूची के मद VI के निबन्धनानुसार इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को गृह किराया भत्ता प्राप्त कर रहा है, जब तक वह उसी निवास सुविधा/स्टाफ क्वार्टर जो निगम या कम्पनी द्वारा आवंटित किया गया है, को रखे हुए हैं ऐसा गृह किराया भत्ता प्राप्त करता रहेगा।

VII. नगर प्रतिकर भत्ता :

1 अगस्त, 1997 से पर्यवेक्षणीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द को संदेय नगर प्रतिकर भत्ते की दर निम्न प्रकार होगी :

	तैनाती का स्थान	प्रति मास दर
(क)	मुम्बई, नवी मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और चेन्नई नगर	120 रुपए प्रति मास न्यूनतम और 275 रुपए प्रति मास अधिकतम के अधीन रहते हुए वेतन का 4 प्रतिशत
(ख)	(क) में उल्लिखित नगरों को छोड़कर बारह लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, गांधीनगर और गोवा राज्य में सभी नगर	100 रुपए प्रति मास न्यूनतम और 250 रुपए प्रति मास अधिकतम के अधीन रहते हुए वेतन का 3 प्रतिशत
(ग)	ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या पांच लाख और उससे ऊपर है किन्तु बारह लाख से अधिक नहीं है, बारह लाख से अनधिक जनसंख्या वाले राज्यों की राजधानियां, चंडीगढ़, मुहाली, पांडिचेरी, पोर्ट ब्लेयर और पंचकुला	75 रुपए प्रति मास न्यूनतम और 200 रुपए प्रति मास अधिकतम के अधीन रहते हुए वेतन का 2.5 प्रतिशत।

टिप्पण 1 : इस मद के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आंकड़े वही होंगे जो अन्तिम जनगणना रिपोर्ट में हैं।

टिप्पण 2 : नगरों में उनकी बस्तियां सम्मिलित हैं।

टिप्पण 3 : वेतन से पैरा 7(2) के अनुसार मूल वेतन और रुद्ध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

VIII. पर्वतीय स्थान भत्ता :

इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अगले महीने के प्रथम दिन से पर्यवेक्षकीय, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द को संदेय पर्वतीय स्थान भत्ते की दर निम्न प्रकार होगी :

(1)	समुद्र तल से ऊपर 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात किए गए व्यक्ति	180 रुपए प्रति मास अधिकतम के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 3 प्रतिशत
(2)	समुद्र तल से ऊपर एक हजार मीटर और उससे ऊपर की ऊंचाई पर स्थित किन्तु एक हजार पांच सौ मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात व्यक्ति, मरकारा और वे स्थान जो विनिर्दिष्ट रूप से केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए "पहाड़ी क्षेत्र" घोषित किए गए हैं।	150 रुपए प्रति मास अधिकतम के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत
(3)	समुद्र तल से ऊपर 750 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थानों पर तैनात व्यक्ति जो पहाड़ियों से घिरे हुए हैं और जहां केवल केवल समुद्र तल से ऊपर 1000 मीटर की ऊंचाई से ही पहुंचा जा सकता है।	150 रुपए प्रति मास अधिकतम के अधीन रहते हुए मूल वेतन का 2.5 प्रतिशत

IX. किट भत्ता

पांचवी अनुसूची की मद VIII में सूचीबद्ध किन्हीं पर्वतीय स्थान को स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को 500 रु. का किट भत्ता संदत्त किया जाएगा। किट भत्ता एक पर्वतीय स्थान से दूसरे पर्वतीय स्थान को किए गए स्थानांतरण पर संदत्त नहीं होगा यदि उसे पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान किसी समय लिया गया है।

X. ऐसे कर्मचारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता जिन्होंने 1.11.1993 से पूर्ववत कंप्यूटरीकरण की बाबत वेतन वृद्धि प्राप्त की है :

1 अगस्त, 1997 से छठी अनुसूची की मद X के अनुसार कंप्यूटरीकरण की बाबत कर्मचारियों को संदाय नियत वैयक्तिक भत्ता नीचे दी गई सारणी में दर्शित रूप में पुनरीक्षित होगा :

सारणी

वेतनमान में कर्मचारी	पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता	नियत वैयक्तिक भत्ते का पुनरीक्षण पूर्व वेतनवृद्धि संघटक
(1)	(2)	(3)
	रू.	
अधीक्षक	360	230
ज्येष्ठ सहायक	360	230
आशुलिपिक	360	230
सहायक आदि	360	230
अभिलेख लिपिक	235	130
चालक	165	100
अधीनस्थ कर्मचारिवृंद्ध	165	100

पुनरीक्षित नियत वैयक्तिक भत्ता, मंहगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता के लिए अर्हित नहीं होगा । तथापि उस सारणी के स्तंभ (3) में लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते का पुनरीक्षण पूर्व संघटक भविष्य निधि, और पेंशन, के लिए गणना में लिया जाएगा और 1.11.1993 को उक्त वेतनवृद्धि संघटक, उस पर महंगाई भत्ता सहित, उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए गणना में लिया जाएगा ।

XI. उन कर्मचारियों को कंप्यूटरीकरण/नियत वैयक्तिक भत्ता के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि जो 1.11.1993 के पश्चात् किन्तु इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख से पूर्व निगम/कंपनी की सेवा में सम्मिलित हुए हैं ।

(1) सभी पुष्टिकृत कर्मचारियों को जिन्होंने 2.11.1993 को या उसके पश्चात् किन्तु इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्व निगम या कंपनी की सेवाओं में सम्मिलित हुए हैं, इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की पहली तारीख से कंप्यूटरीकरण की बाबत ऐसे वेतनमान में एक वेतन वृद्धि संदत की जाएगी जो इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को संबद्ध कर्मचारी को लागू होता है :

परंतु यह कि ऐसे किसी कर्मचारी को जो निगम या कंपनी की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को या उससे पूर्व पुनरीक्षण पर था, पुष्टिकरण की तारीख के पश्चात् सेवा के 365/366 दिनों के पूरा करने पर एक वेतन वृद्धि संदत की जाएगी ।

परंतु यह और कि ऐसे किसी कर्मचारी को ऐसी कोई वेतन वृद्धि संदाय नहीं होगी जो इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् निगम/कंपनी की सेवाओं में सम्मिलित होता है ।

(2) ऐसे किसी कर्मचारी को, जिसने इस मद के उपपैरा (1) के अनुसार कंप्यूटरीकरण की बाबत कोई वेतन वृद्धि प्राप्त की है और जो पश्चातवर्ती रूप में उसको लागू वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच जाता है, वेतनमान के अधिकतम पर पहंचने के एक वर्ष की अवधि के अवसान पर, इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को उसको लागू वेतनमान में अंतिम वेतन वृद्धि की राशि के समतुल्य नियत वैयक्तिक भत्ता संदत किया जाएगा :

परंतु यह कि नियत वयाक्तक भत्ता, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ते के संदाय के लिए अर्हित नहीं होगा:

परंतु यह और कि नियत वैयक्तिक भत्ते में से, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट रकम को प्रत्येक वेतनमान की बाबत, भविष्य निधि और पेंशन, के लिए गणना में लिया जाएगा और 1.11.1993 को उक्त रकम को उस पर महंगाई भत्ता सहित, उपदान और उपार्जित छुट्टी के नकदीकरण के लिए गणना में लिया जाएगा :

सारणी

वेतनमान में कर्मचारी	नियत वैयक्तिक भत्ते में से वह रकम जो भविष्य निधि आदि के लिए गणना में ली जाएगी ।
(1)	(2)
अधीक्षक	230
ज्येष्ठ सहायक	230
आशुलिपिक	230
सहायक आदि	230
अभिलेख लिपिक	130
चालक	100
अधीनस्थ कर्मचारिवृंद	100

XII. वाहन भत्ता

इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की पहली तारीख से या नियुक्ति की तारीख से, इसमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, प्रत्येक पुष्टिकृत कर्मचारी को 75 (पचहत्तर रूपए)रूपए प्रति मास की दर से वाहन भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

XIII. पारादीप पत्तन भत्ता

इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के आगामी मास की पहली तारीख से या नियुक्ति की तारीख से इसमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, परादीप पत्तन में कंपनी के कार्यालय में तैनात प्रत्येक पुष्टिकृत कर्मचारी को जबतक वह उस कार्यालय में तैनात 50 (पचास रूपए)रूपए प्रति मास की दर से भत्ता संदत किया जाएगा । भत्ता किसी प्रयोजन के लिए मूल वेतन नहीं समझा जाएगा ।

XV. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (उ.सं.ए.प्रो.) के बदले एक बार एकमुश्त संदाय :

उ.सं.ए.प्रो. के बदले 1-8-1997 से 31-3-1999 की अवधि के लिए 1-8-1997 (पुनरीक्षण पूर्व) वर्ग III/IV कर्मचारियों के लिए साधारण बीमा उद्योग के मजदूरी बिल का 1.67% का एक बार एकमुश्त संदाय किया जाएगा।

XVI. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन (उ.सं.ए.प्रो.) स्कीम :

[फा. सं. 2(14) बीमा-III/97 (ix)]
अजीत एम. शरण, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल स्कीम अधिसूचना सं. का.आ. 326(अ) तारीख 27.5. 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी । पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं.का.आ. 472(अ)तारीख 5 सितम्बर 1975, 5415 तारीख 22 दिसम्बर 1975, 390(अ) तारीख 1 जून 1976, 4466 तारीख 11 नवम्बर 1976, 2443 तारीख 30 जुलाई 1977, 1046 तारीख 29 मार्च 1978, 1049 तारीख 29 मार्च 1978, 1410 तारीख 26 अप्रैल 1978, 3429 तारीख 16 नवम्बर 1978, 314(अ) तारीख 12 मई 1980, 729 (अ) तारीख 21 सितम्बर 1984, 769(अ) तारीख 15 अक्तूबर 1985, 884(अ) तारीख 9 दिसम्बर 1985, 729 (अ) तारीख 3 अक्तुबर 1986, 441(अ) तारीख 27 अप्रैल 1987, 1038(अ) तारीख 7 दिसम्बर 1987, 780(अ) तारीख 22 अगस्त 1988, 783 (अ) तारीख 22अगस्त 1988, 1160 (अ) तारीख 9 दिसम्बर

1988, 180 (अ) तारीख 10 मार्च 1989, 356 (अ) तारीख 12 मई 1989, 405(अ) तारीख 24 मइ 1990, 542(अ) तारीख 6 जुलाई 1990, 593(अ) तारीख 27जुलाई 1990,754 तारीख 4 अक्तूबर, 1990, 797(अ) तारीख 25 नवम्बर 1991, 909(अ) तारीख 23दिसम्बर 1991, 83 तारीख 2 फरवरी 1994, 594(अ) तारीख 30 जून 1995, 139(अ) तारीख 22 फरवरी 1996, 759(अ) तारीख 1 नवम्बर 1996, 465(अ) तारीख 27मई 1998,731(अ) तारीख 27 अगस्त 1998 और (अ) तारीख 30 अगस्त 1999 द्वारा किए गए ।

परिशिष्ट

उत्पादकता संबद्ध एक मुश्त प्रोत्साहन स्कीम (उ0स0ए0प्रो0 स्कीम)

(मद xii देखिए)

1. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन 1-8-1997 (पुनरीक्षण पूर्व) को अधिकारियों के लिए, यथास्थिति, साधारण बीमा उद्योग या कंपनी या निगम के मजदूरी बिल पर आधारित होगा ।

2. पात्रता

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन को निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर मापा जाएगा :

क) नवीकरण सूचनाओं का जारी किया जाना - पात्रता के लिए पूर्वापेक्षा

समय सीमा में नवीकरण सूचनाओं का जारी किया जाना आज्ञापक होगा अर्थात् किसी विशिष्ट मास में समाप्त होने वाली पालिसियों की बाबत नवीकरण सूचनाएं पूर्व मास की 15 तारीख तक जारी की जानी हैं ।

ख) दावा समझौता अनुपात

दावा समझौता अनुपात से निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाल गया अनुपात (दशमलव को छोड़कर संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा) अभिप्रेत है, अर्थात् :-

$$\frac{\text{वर्ष के दौरान सुलझाए गए दावे}}{\text{वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे + धन वर्ष के दौरान सूचित किए गए दावे}} \times 100$$

ग) प्रलेखीकरण अनुपात

प्रलेखीकरण अनुपात से निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला गया अनुपात (दशमलव को छोड़कर संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा) अभिप्रेत है, अर्थात् :-

$$\frac{\text{वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रलेख}}{\text{वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रलेख + धन वर्ष के दौरान जोड़े गए प्रलेख}} \times 100$$

घ) प्रबंधन व्यय अनुपात का नियंत्रण (प्र.व्य.अ.)

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन उस दशा में संदेय होगा जब किसी व्यष्टिक कंपनी के लिए प्रबंधन व्यय अनुपात, बीमा अधिनियम / बीमा नियम में विहित सीमाओं के भीतर है ।

स्पष्टीकरण— (1) उपधारा (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित पैरामीटर, पैरा 4.1 के भाग क के खंड (क) के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की मंजूरी के लिए लागू होंगे ।

(2) पैरामीटर (घ), पैरा 4.1 के भाग क के खंड (ख) के अनुसार उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की मंजूरी के लिए लागू होगा ।

3. **पैरामीटर (कार्य निष्पादन का आरंभिक स्तर और निर्देश चिन्ह स्तर) :**

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन परिभाषित पैरामीटरों में कार्य निष्पादन स्तर पर निर्भर करेगा । प्रत्येक पैरामीटर में कार्य निष्पादन स्तर के दो तत्व होंगे (क) आरंभिक स्तर और (ख) निर्देश चिह्न स्तर ।

कार्य निष्पादन का आरंभिक स्तर पूर्ववर्ती वर्ष में संबंधित कंपनियों के कार्य निष्पादन का वास्तविक स्तर होगा ।

निर्देश चिह्न स्तर, आरंभिक स्तर पर 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी :

परंतु जहां 99 प्रतिशत प्रलेखन पहले ही प्राप्त कर लिया गया हो, वहां निर्देश चिह्न स्तर अभिलिखित आरंभिक स्तर पर 0.5 प्रतिशत वृद्धि पर नियत किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी एक पैरामीटर में सीमांत कमी बोर्ड द्वारा माफ की जा सकेगी ।

जब कि निर्देश चिह्न मानक सभी कंपनियों के लिए एक समान होंगे, कार्य निष्पादन के स्तर भाग क के लिए कंपनी-वार आधार पर और उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन स्कीम के भाग ख के लिए समग्र उद्योग के आधार पर मूल्यांकित किए जाएंगे ।

4. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदाय मान

4.1 संदेय उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन की गणना दो भागों– भाग क और भाग ख के अधीन निम्नवत की जाएगी :-

भाग क : कंपनी-वार कार्य निष्पादन के आधार पर

उ.सं.ए.प्रो. नीचे दिए गए ग्राहक सेवा पैरामीटरों में निर्देश चिह्न स्तरों की प्राप्ति के लिए अधिकतम 2 प्रतिशत तक संदेय होगा और यदि व्यष्टिक कंपनी के लिए प्रबंधन व्यय अनुपात (प्र.व्य.अ.) बीमा अधिनियम, 1938/ बीमा नियमों में विहित सीमाओं के भीतर है तो उस दशा में 1 प्रतिशत उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्सहन संदेय होगा ।

पैरामीटर	संदेय प्रोत्साहन का मान
क) ग्राहक सेवा पैरामीटर	
1. नवीकरण सूचना आज्ञापक	शून्य
2. दावा समझौता	1.00%
3. दस्तावेजों का जारी किया जाना/निपटान	1.00%
ख) प्र0 व्य0 अ0 पैरामीटर	
4. प्र0व्य0अ0, विहित कानूनी सीमा के भीतर	1.00%
भाग क के अधीन उ.सं.ए.प्रो. के संदाय की कुल सीमा	**3.00%**

4.1.1 निगम के अधिकारियों के लिए

यदि ग्राहक सेवा पैरामीटरों पर उद्योग औसत ऊपर विहित निर्देश चिह्न के अनुरूप है तो 2 प्रतिशत उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा और यदि उद्योग में कम-से-कम एक कंपनी ऊपर उपदर्शित प्र.व्य.अ. पैरामीटर के अनुरूप है तो 1 प्रतिशत उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

4.1.2 भाग क के अधीन उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का संदाय, निष्पादन वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अर्जित सकल लाभ के अध्यधीन होगा ।

4.2 भाग(ख) : उद्योग औसत के आधार पर

प्रबन्धन व्यय अनुपात (प्र0व्य0अ0) में कमी लाने के लिए निम्नलिखित मान पर 3% तक उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

	प्र0व्य0अ0 में अपेक्षित कमी का प्रतिशत (उद्योग औसत के आधार पर)	संदेय प्रोत्साहन (आनुपातिक आधार पर)
प्रक्रम I	21 % से 19.5 %	1.5%

	(1.5% तक कमी)	
प्रक्रम II	19.5% से 19 % (0.5% तक कमी)	1.00%
प्रक्रम III	प्र0व्य0अ0 में 19% से न्यून कमी के लिए	0.50%

भाग ख के अधीन उ.सं.ए.प्रो. के संदाय के लिए कुल सीमा	3.00%
भाग क + भाग ख के अधीन उ.सं.ए.प्रो. के संदाय के लिए कुल सीमा	6.00%

4.2.1 भाग ख के अधीन उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का संदाय, निष्पादन वर्ष के लिए कपनी द्वारा अर्जित सकल लाभ के अध्यधीन होगा ।

4.3 संदेय प्रोत्साहन की अधिकतम राशि 1.8.1997 (पुनरीक्षण पूर्व) को मजदूरी बिल का 6% होगी ।

स्पष्टीकरण- 1: प्रक्रम 1 पर, उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन के संदाय का मान प्रबंधन व्यय अनुपात में हुई कमी के अनुपात में होगा उदाहरणार्थ यदि प्रबंधन व्यय अनुपात में 0.5 प्रतिशत की कमी होती है तो 1-8-1997 को (पुनरीक्षण पूर्व) मजदूरी बिल के 0.5 प्रतिशत पर उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन संदेय होगा ।

(2) प्रक्रम 2 पर उ.सं.ए.प्रो. के संदाय का मान का नाम प्र.व्य,अ. में कमी के तत्समान 1: 2 के अनुपात मे होगा । उदाहरणार्थ 19.5 प्रतिशत से नीचे प्र.व्य,अ. में प्रत्येक 0.10 की कमी के लिए संदेय उ.स.ए. प्रोत्साहन 1-8-1997 को (पुनरीक्षण पूर्व) मजदूरी बिल का 0.2 प्रतिशत होगा ।

(3) प्रबंधन व्यय अनुपात की गणना में, संदाय के वर्ष में संदत्त उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन शामिल किया जाएगा ।

5. उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का संदाय :

उ0स0ए0प्रो0 का संदाय, संगत लेखा वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर विहित निर्देश चिह्न के प्रति निर्देश से कार्य निष्पादन की उपलब्धि के पश्चात् किया जाएगा ।

उत्पादकता संबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन का वितरण, प्रत्येक वर्ष वार्षिक तौर पर 1 अगस्त के पश्चात्, संपरीक्षित आकड़े उपलब्ध हो जाने पर एकमुश्त रूप में किया जाएगा ।

6. निगम/कंपनी, प्रत्येक पैरामीटर के अधीन निगम/कंपनी के कार्य निष्पादन स्तर को मापने के लिए, समुचित मोनीटर करने और रिपोर्ट करने की प्रणाली तैयार करेगी ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

1. केन्द्रीय सरकार ने भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कंपनियों में पर्यवेक्षीय/लिपिकीय कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों के पुनरीक्षण का अधिसूचना उस विनिर्दिष्ट तारीखों से अनुमोदन कर देता है। साधारण बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय अधिनस्थ कर्मचारिवृंद्ध के वेतनमान और सेवा शर्तों को वेतनमान और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 के अधिसूचना में विनिर्दिष्ट इन तारीखों से तद्नुसार संशोधन किया गया है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि निगम या इसकी सहायक कंपनियों के किसी कर्मचारी पर, अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संभावना नहीं है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2000

S.O. 589(E).— In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following scheme, to further amend the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 (hereinafter referred to as "the said scheme"), namely :-

1. **Short title, commencement and application.**_

(1) This scheme may be called the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Amendment Scheme, 2000.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of this scheme shall be deemed to have come into force from 1st August,1997.

(3) This scheme shall be applicable to all employees who are whole time employees in Supervisory, Clerical and Subordinate Staff cadre of the Corporation or Company as on 1.8.1997:

Provided that the employees whose resignation had been accepted or whose services had been terminated during the period from 1.8.1997 and the date of publication of this scheme in the Official Gazette shall not be eligible for the arrears on account of revision.

(4) Nothing contained in this Scheme shall entitle an employee to claim overtime allowance higher than what he had been entitled to prior to the publication of this scheme in the Official Gazette.

2. In the said scheme,

(i) in paragraph 3, after clause (e), the following clauses shall be inserted namely :-

"(ea) "modified terms" means the modified scales of pay and allowances as specified in the Seventh Schedule;

(eb) "modified scales of pay" means the modified scales of pay as specified in the Seventh Schedule ";

(ii) in paragraph 4, after sub-paragraph (9), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely :-

"(10) With effect from the first day of August, 1997, the pay and allowances of every employee shall be in accordance with the modified terms. The Basic Salary of every employee in service as on that date and of every employee appointed after that date but before the date of publication of this scheme in the Official Gazette shall be in accordance with the modified scales of pay as per the provisions of paragraph 6E;

(11) Every employee whose Basic Salary is fixed in the modified scales of pay in accordance with the provisions of paragraph 6E of this Scheme shall be paid, from the date of fixation in the modified scale of pay, for the period commencing from the 1st day of August, 1997 or the date of his appointment, or the date from which he opts to be governed by the provisions of this scheme, whichever is later, the difference of Basic Salary, Personal Pay, if any, dearness allowance and other allowances (after deducting the employee's compulsory contribution to the Provident Fund), between the "modified terms" and the "altered terms" applicable to him :

Provided that –

(i) In the case of an employee who had retired from service after the 1st day of August, 1997 shall be paid the difference in amount, as specified in sub-paragraph (11), for the period upto the date of his retirement alongwith the difference in amount of gratuity, if any, arising out of this scheme.

(ii) In the case of an employee who had died whilst in service on or after 1st day of August, 1997, the difference in amount as specified in sub-paragraph (11), for the period upto the date of his death shall be paid to the person to whom his Provident Fund was paid or is to be paid and the difference in amount of gratuity, if any, arising out of this scheme shall be paid to the person to whom his gratuity was paid or is to be paid :

Provided further that in respect of an employee who is promoted from Supervisory, Clerical and Sub-ordinate Staff cadre to the cadre of Officer or converted as Development Officer on or after the 1st day of August, 1997, the difference in the amount referred to above (excluding the difference in gratuity amount) upto the date of his promotion as Officer or conversion as Development Officer, shall be paid on the basis of notional fixation of his Basic Salary in the modified terms.

Explanation:- For the purposes of sub-paragraph (11), the expression 'other allowances' means House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Functional Allowance, Hill Station Allowance, Graduation Allowance, Allowance for Technical Qualification, Conveyance Allowance, Paradeep Port Allowance and Temporary Personal Allowance, and Fixed Personal Allowance as admissible to an employee."

(iii) after paragraph 6D, the following paragraph shall be inserted, namely :-

"6E : Fixation of Basic Salary in the modified scales of pay and allowances :

(1) The scales of pay and other allowances in case of every employee in service as on 1st day of August, 1997 and continues to be in service on or after the date of publication of this scheme in the Official Gazette, shall be in accordance with the 'modified terms' from a date not earlier than the date mentioned below against each items : -

	Item	Effective date
1	Pay Scales, Dearness allowance, House Rent Allowance, City Compensatory Allowance, Provident Fund, Special Functional Allowance to Subordinate Staff, Fixed Personal Allowance (to employees who have received Computer Increment w.e.f. 1.11.1993), Temporary Personal Allowance	1st day of August,1997
2	Other Allowances namely Allowance to Cashier, Graduation Allowance to Assistant, Allowance for Technical Qualification, Conveyance Allowance, Paradeep Port Allowance, Hill Station Allowance,	1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette.

(2) The scales of pay and allowances in case of every employee to whom this scheme applies, the scales of pay and other allowances shall be in accordance with the modified terms from a date not earlier than the date mentioned against each item as above or the date of appointment, whichever is later.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) and (2), the employee may choose that the scale of pay and other allowances may be fixed in his case in accordance with the modified terms with effect from the dates mentioned in sub-paragraph (1) above or any date thereafter but on or before the date of publication of this scheme in the Official Gazette in the Official Gazette in which case, he shall intimate such choice in writing to the Corporation or Company within the period as may be stipulated by the Managing Director of the Corporation :

Provided that no arrears shall be payable to such employee for the period from the 1st day of August, 1997 to the date so chosen:

Provided further that while calculating the arrears from 1.8.1997 to the date of publication of this scheme in the Official Gazette if the net difference between the altered total emoluments after deducting Provident Fund and the modified total monthly emolument after deducting the Provident Fund is negative, the same shall be ignored.";

(iv) in paragraph 7, for sub-paragraph (2), the following shall be substituted, namely :-

"(2) In respect of an employee whose Basic Salary is fixed at maximum of the modified scale of pay on the 1st day of August, 1997 or on the date of publication of this scheme in the Official Gazette under paragraph 6E and in respect of an employee who will be reaching the maximum of the modified scale of pay at any time thereafter during the period of his service, the Officer not below the rank of Assistant Manager authorised by the Corporation or Company in this behalf, subject to the work record being satisfactory, may consider,-

(a) granting of one increment to such employee in the scale of Assistant, Record Clerk, Driver or other Subordinate Staff, as the case may be, for every two years of continuous service rendered by him after the date of his reaching the maximum of the respective modified scale of pay at the rate of last increment drawn in the scale and not more than five such increments:

Provided that the fifth stagnation increment shall be granted to the employee in the scale of Assistant, Record Clerk, Driver or other Subordinate Staff, as the case may be, after the completion of two years from the date of receipt of fourth stagnation increment or from 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, whichever is later.

(b) granting of one increment to such employee in the scale of Senior Assistant or Stenographer, in the modified scale of pay for every three years of continuous service rendered by him after the date of his reaching the maximum of the modified scale of pay at the rate of last increment drawn in the scale and not more than four such increments :

Provided that the fourth stagnation increment shall be granted to the employee in the scale of Senior Assistant or Stenographer, as the case may be, after the completion of three years from the date of receipt of third stagnation increment or from the date of publication of this scheme in the Official Gazette, whichever is later.

(c) granting of one increment to such employee in the scale of Superintendent, in the modified scale of pay for every three years of continuous service rendered by him after the date of reaching maximum of the modified scale of pay at the rate of last increment drawn in the scale and not more than two such increments:

Provided that the second stagnation increment shall be granted to the employee in the scale of Superintendent after the completion of three years from the date of receipt of first stagnation increment or from 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, whichever is later.

Explanation:-For the purposes of this paragraph "continuous service" means a period of duty excluding period/(s) of extraordinary leave.";

(v) in paragraph 10, the following shall be deemed to be substituted from the date of publication of this scheme in the Official Gazette, namely:-

(1) in the proviso to sub-paragraph (5),

(a) for the word "eight" the word "nine" shall be substituted;

(b) after the words "kidney disease", the word "AIDS" shall be inserted; and

(2) for sub-paragraph (6) the following shall be substituted, namely:

"(6) Maternity leave:- A female employee shall be entitled to maternity leave not exceeding 180 days on any one occasion. The spread of leave between pre-natal and post-natal periods will be left to the convenience of the employee:

Provided that the maximum Maternity Leave shall not exceed 12 months including miscarriage/ Medical Termination of Pregnancy during the entire period of service:

Provided further that where a female employee having three or more living children, takes leave for confinement, such leave shall be treated as earned leave and if earned leave is not admissible, as sick leave if such leave is admissible.";

(3) after sub-paragraph (6), the following sub-paragraph (6A) shall be inserted, namely:

"(6A) Adoption leave :

Leave may be granted once during the service to a childless female employee for legally adopting a child who is below one year of age. The maximum period of leave will be two months or till the child reaches the age of one year, whichever is earlier:

Provided such leave will be granted for adoption of only one child:

Provided further that the adoption of a child is through a proper legal process and on submission of a certified true copy of adoption deed to the Corporation or Company";

(vi) in paragraph 11, after clause (ii), the following sub-clause (iii) shall be inserted namely ,-

"(iii) for the period commencing from 1st day of August, 1997 shall be computed with reference to the modified terms.";

(vii) in the Sixth Schedule, in item VI, in the column relating to , 'place of posting', in clause (a), after the words and figures "Cities with population exceeding 12 lacs" the words "Faridabad, Ghaziabad, NOIDA, Gurgaon, Vashi, Gandhinagar and any city in the State of Goa" shall be deemed to have been inserted with effect from 1st day of August, 1992 ;

(viii) in the Sixth Schedule, in item VII, in the second paragraph, in the column relating to , 'place of posting', in clause (a), for the words "and any other city in the State of Goa", the words ",any other city in the State of Goa, Vashi and Gandhinagar" shall be deemed to have been inserted with effect from 1st April, 1993.

(ix) after the Sixth Schedule, the following Seventh Schedule shall be inserted, namely : -

" SEVENTH SCHEDULE
[See Paragraph 3 (ea) and (eb)]

I. MODIFIED SCALES OF PAY (Basic Salary) :

A. Supervisory and Clerical Staff :

(1) Superintendent : (Run-off cadre)*
Rs.6515-360(15)-11915

(2) Senior Assistant :
Rs.4655-285(4)-5795-360(15)-11195

(3) Stenographer :
Rs. 4655-285(4)-5795-360(15)-11195

(4) Assistant, Typist, Telephone Operator, Telex Operator, Receptionist, Punch Card Operator, Unit Record Machine Operator, Comptist and other equivalent posts :
Rs.3385-185(1)-3570-205(2)-3980-225(5) – 5105-270 (2)-5645 – 300 (3)-6545–325(2)-7195-360(5)-8995

(5) Record Clerk :
Rs.3165-120(2)-3405-135(5)-4080-145(1)-4225-165(2)-4555-185(3)-5110-195(4)-5890-210(3)-6520-235(1)-6755

B. Subordinate Staff

(1) Driver :
Rs.3165-120(2)-3405-135(15)-5430-165(4)-6090

(2) Other Subordinate Staff :
Rs.2790-110(5)-3340-115(8)-4260-135(4)-4800-165(2)-5130

* No fresh appointment to be made to the post of Superintendent by the Corporation or Company.

(1) The basic salary of every employee in service as on the 1st day of August, 1997, and who continues to be in service after the date of publication of this scheme in the Official Gazette, shall be fixed at the corresponding stage in the respective modified scale of pay with effect from 1st day of August, 1997 or the date of option, whichever is later.

(2) The Basic Salary of every employee appointed after the 1st day of August, 1997 and who continues to be in service after the date of publication of this scheme in the Official Gazette, shall be fixed at the corresponding stage in the respective modified scale of pay with effect from the date of his appointment or date of option, whichever is later.

(3) The Basic Salary of every employee who was in service on or after 1st day of August, 1997 and who retired or died on or before the publication of this scheme in the Official Gazette, shall be fixed at the corresponding stage in the respective modified scale of pay with effect from 1.8.1997 or the date of his appointment, whichever is later.

II. FUNCTIONAL ALLOWANCES :

(1) Special Functional Allowance

(a) With effect from 1st day of August, 1997, the employees engaged in any of the following functions as their regular and main function shall be paid a functional allowance as indicated below :-

Subordinate Staff working as Liftmen, Machine Operators, Head Peons, Jamadars, Daftaries, A.C. Plant Operators, Heavy Vehicle Drivers, Key Holders or Generator Operators and Subordinate Staff carrying cash to or from Bank where the amount of cash carried during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000/- or more.	Rs.165/- p.m.

(b) With effect from 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, the employees engaged in any of the following functions as their regular and main function shall be paid a functional allowance as indicated below :-

Cashier handling cash in an office where the total amount of cash transactions during a calendar month is ordinarily Rs. 25,000/- or more.	Rs.415/- p.m.

NOTE 1: *The Entire Special Functional Allowance payable to Subordinate Staff under sub-clause(a) above will continue to count as Basic Salary.*

NOTE 2 : *Special Functional Allowance under sub-clause (b) shall not be treated as part of Basic Salary. The said Special Functional Allowance shall not count for the purpose of any Allowance. However, the revised Special Functional Allowance to the extent of pre-revised Special Functional Allowance of Rs.210/- per month shall rank for Provident Fund, Pension and fixation on promotion. The said pre-revised Special Functional Allowance of Rs.210/- p.m. and DA thereon as on the date of publication of this scheme in the Official Gazette as per altered terms shall rank for Gratuity and encashment of earned leave.*

(2) Other Functional Allowance :

With effect from 1st day of August, 1997, the Other Functional Allowance shall be paid as under:

(a) Telex Operators, Punch Card Operators, Unit Record Machine Operators and Comptists — Rs. 60/- p.m.

(b) Stenographer to Chairman of the Corporation, Managing Directors, Chairman-cum-Managing Directors, General Managers, Assistant General Managers and equivalent positions. — Rs. 75/-p.m.

(c) Audit Assistants — Rs.240/-p.m.

NOTE 1 : The number and names of persons eligible to draw the functional allowance shall be determined by the Chairman-cum-Managing Director or the Managing Director or by the officer authorised in this behalf, depending upon the load of work and administrative requirements.

NOTE 2 : An employee shall draw only one functional allowance at a time.

NOTE 3 : An employee proceeding on leave shall be paid the functional allowance during his leave period other than periods of extra ordinary leave, provided that he resumes work in the same position on the expiry of his leave.

NOTE 4 : No employee shall, as a matter of right, claim to be allotted a particular portfolio of work in order to avail of the functional allowance attaching to that position or post.

NOTE 5 : No employee shall refuse to work in a position carrying a functional allowance or make it a condition that he be paid such allowance where, because of absence of the incumbent or temporary pressure of work, the employee is assigned such work by the Head of his Office.

III. DEARNESS ALLOWANCE :

(1) The rate of dearness allowance applicable to the employees shall be determined as under :-

Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

Base : Index No.1740 in the series 1960 = 100.

Rate : For every 4 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index above 1740 points, employees shall be paid dearness allowance at the rate of 0.23% of Basic Salary.

Revision of dearness allowance : Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every 4 points rise or fall.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for every four points rise in the quarterly average (hereinafter referred to as the "current average figure") of the All India Consumer Price Index above 1740 points in the sequence 1740-1744-1748-1752 and so on; and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average figure falls below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter. On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence; and if such current average figure is not a figure in the above sequence the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence immediately preceding the current average.

(3) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is available earlier, shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(4) The revision in dearness allowance corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

Explanation:- For the purposes of this item, 'quarter' shall mean a period of three months ending on the last day of the month of March, June, September or December.

IV. ALLOWANCE FOR TECHNICAL QUALIFICATIONS :

(1) With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, the Allowance for Technical Qualifications shall be paid as under:

(2) A confirmed employee who qualifies or has qualified in an examination mentioned in column (1) of the table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination, or with effect from the date of publication of this scheme in the Official Gazette, whichever is later, the allowance for Technical qualifications mentioned in column (2) of the table below:-

Provided that not more than one qualification allowance shall be permissible to him.

Table

Examination	Allowance for Technical Qualification (p.m.)	
(1)	(2)	(3)
	(Revised)	(Pre-revised)
Insurance Institute of India or Chartered Insurance Institute :		
On completion of :		
i) Licentiate	Rs.95/-	Rs.48/-
ii) Associateship	Rs.285/-	Rs.144/-
iii) Fellowship	Rs.475/-	Rs.240/-
Institute of Actuaries :		
iv) On passing each subject	Rs.95/-	Rs.48/-
Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accounts:		
On completion of :		
v) Intermediate Examination	Rs.190/-	Rs.96/-
vi) Final Group A or Group B	Rs.355/-	Rs.180/-
vii) Final Group A and Group B	Rs.475/-	Rs.240/-
On completion of :		
viii) Master of Business Administration of a Recognised University/Institution	Rs.475/-	Rs.240/-

(3) The grant of allowance for technical qualifications shall not affect the seniority of the employee concerned.

(4) Where the employee has already been given an advance increment or any other recurring monetary benefit for having qualified in any of the said examinations, the amount of qualification allowance shall be suitably reduced or be not admissible depending on the quantum of benefit already received.

(5) Such employee on completion of service of one year after reaching the maximum of the scale shall receive the qualification allowance amounting to not less than one-half of the full rate and after a further service of one year, the said qualification allowance shall be paid in full.

(6) The revised allowance for technical qualification as mentioned in column (2) of the table above shall not count for the purpose of any Allowance. However, the said revised allowance, shall count to the extent of pre-revised allowance as mentioned in column (3) against each examination, for the purpose of Provident Fund, Pension and fixation on promotion from Class III to Class I cadre, The said pre-revised allowance alongwith dearness allowance thereon as on the date of publication of this scheme in the Official Gazette as per altered terms shall count for the purpose of Gratuity and encashment of earned leave.

Explanation:- For the purposes of clause (viii) of sub-item(2), "recognised University/Institution" shall mean a University/Institution recognised by the University Grants Commission.

V. GRADUATION ALLOWANCE :

(1) GRADUATION INCREMENTS/ALLOWANCE TO EMPLOYEES IN THE SCALE OF ASSISTANT :

With effect from the 1st day following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, the Graduation Increments/Allowance to employees in the scale of Assistant shall be paid as under:

(a) An employee who is appointed or promoted to any post in the scale of Assistant and who has qualified as a Graduate of a recognised University on or after the 1st day of January 1973, and has not reached the maximum of the scale shall be granted two increments in the scale with effect from the publication of results of the examination, or 1st day of the month following the publication of this scheme in the Official Gazette, or the date of appointment in the scale of Assistant, whichever is later, provided that he has not already received graduation increment or qualification pay for having qualified as such graduate or any advance increment on appointment, otherwise than by way of protection of emoluments granted to ex-servicemen:

Provided that if an employee entitled to increments for graduation is drawing Basic Salary of Rs.8635/-, only one increment for graduation shall be granted to him.

(a) an employee in the scale of Assistant who is a graduate of a recognised University and has reached the maximum of the scale shall be paid revised graduation allowance with effect from 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, as under:

	Pre-revised Graduation Allowance per month	Revised Graduation Allowance per month
one year after reaching the maximum of the scale	Rs.78/-	Rs.145/-
Two years after reaching the maximum of the scale	Rs.156/-	Rs.285/-

(c) The revised Graduation allowance as shown above shall not be treated as part of Basic Salary. The revised Graduation allowance shall not count for the purpose of any Allowance. However, the revised Graduation Allowance to the extent of pre-revised Graduation Allowance shall count for Provident Fund and Pension and for fitment on promotion. The said pre-revised Graduation Allowance and dearness allowance thereon as on the date of publication of this scheme in the Official Gazette as per altered terms shall count for Gratuity and encashment of earned leave.

Explanation:- For the purposes of the above sub-item "recognised university" means a University recognised by the University Grants Commission.

(2) GRADUATION ALLOWANCE TO RECORD CLERKS :

Graduation Allowance to employees in the scale of Record Clerks shall be paid as under:

An employee in the scale of Record Clerk, who has qualified as Graduate of a recognised University shall be paid Graduation Allowance of Rs.96/- p.m. with effect from the date of publication of results of the examination or, from the date of promotion as Record Clerk, whichever is later.

Note : The Graduation Allowance payable to employees in the scale of Record Clerk shall not be treated as Special Allowance nor shall it be treated or counted as Basic Salary for any purpose and it shall be withdrawn on promotion of the employee.

VI. HOUSE RENT ALLOWANCE :

(1) With effect from 1st day of August, 1997, House Rent Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as shown in the Table below:

Table

Place of posting	Rate per month
a) Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Calcutta, New Delhi, Faridabad, Gaziabad, NOIDA, Gurgaon, and Chennai	11% of pay, subject to maximum of Rs.1200/- per month
b) Cities with population exceeding 12 lacs,except cities mentioned at (a), Gandhinagar and all cities in the State of Goa;	9% of pay, subject to maximum of Rs.1000/- per month
c) All other places	8% of pay,subject to maximum of Rs.950 per month

Note 1: For the purpose of this item, the population figure shall be those in the latest Census Report.

Note 2: Cities shall include their urban agglomerations.

Note 3 'pay' means Basic Salary and stagnation increments as per paragraph 7 (2)

(2) Employees who are allotted residential accommodation/staff quarters, shall not be entitled to any house rent allowance, but they shall pay to the Corporation or Company, for such accommodation, the appropriate licence fee as may be decided by the Board of the Corporation from time to time. Provided that an employee who has been allotted residential accommodation/staff quarters before the 1st day of April, 1983, and who has been in receipt of House Rent Allowance as on date immediately preceding the date of publication of this scheme in the Official Gazette in terms of item VI of the Fourth Schedule of the said scheme shall continue to receive such House Rent Allowance so long as he continues to occupy the same residential accommodation/staff quarters allotted by the Corporation or Company.

VII. CITY COMPENSATORY ALLOWANCE :

With effect from 1st August, 1997, the rate of City Compensatory Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as under:

Place of posting	Rate per month
a) Cities of Mumbai, Navi Mumbai, Calcutta, New Delhi, Faridabad, Gaziabad, NOIDA, Gurgaon, and Chennai	4% of pay subject to a minimum of Rs.120/- per month and maximum of Rs.275/- per month
b) Cities with population exceeding 12 lacs, except cities mentioned at (a) Gandhinagar and all cities in the State of Goa;	3% of pay subject to a minimum of Rs.100/- per month and maximum of Rs.250/- per month
c) Cities with the population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs,State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali, Pondicherry, Port Blair, Panchkula.	2.5% of pay subject to a minimum of Rs.75/- per month and maximum of Rs.200/- per month

Note 1: For the purpose of this item, the population figure shall be those in the latest Census Report

Note 2: Cities shall include their urban agglomerations

Note 3 . 'pay' means Basic Salary and stagnation increments as per paragraph 7 (2)

VIII. HILL STATION ALLOWANCE :

With effect from 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, the Hill Station Allowance payable to Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees shall be as under :

(i) Posted at places situated at a height of 1500 metres and over above mean sea level.	3% of the Basic Salary subject to maximum of Rs.180/- per month.
(ii) Posted at places situated at a height of 1000 metres and over, but less than 1500 metres above mean sea level, at Mercara and at places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central/State Governments for their employees.	2.5% of the Basic Salary subject to maximum of Rs.150/- per month.
(iii) Posted at places situated at a height of not less than 750 meters above mean sea level which are surrounded by and accessible only through hills with a height of 1000 metres and over above mean sea level.	2.5% of Basic Salary subject to a maximum of Rs.150/- per month.

IX. KIT ALLOWANCE :

Employees transferred to any of the hill stations listed in item VIII of the Fifth Schedule shall be paid a Kit Allowance of Rs.500/-. The Kit Allowance shall not be payable on transfer from one hill station to another if the same was drawn at any time during the preceding three years.

X. FIXED PERSONAL ALLOWANCE TO EMPLOYEES WHO HAVE RECEIVED INCREMENT ON ACCOUNT OF COMPUTERISATION EFFECTIVE FROM 1.11.1993:

With effect from 1st day of August, 1997, the Fixed Personal Allowance payable to employees on account of computerisation as per item X of the Sixth Schedule shall stand revised as shown in the Table below :

TABLE

Employees in the scale of pay of	Revised Fixed Personal Allowance	The pre-revised increment component of fixed Personal allowance
(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.
Superintendent	360	230
Senior Assistant	360	230
Stenographer	360	230
Assistant, etc.	360	230
Record Clerk.	235	130
Driver	165	100
Subordinate Staff	165	100

The revised Fixed Personal Allowance shall not qualify for DA and HRA. However, the pre-revised increment component of Fixed Personal Allowance mentioned in column (3) of the above table shall rank for Provident Fund and Pension and the said increment component alongwith dearness allowance thereon as on 1.11.1993 shall rank for Gratuity and encashment of earned leave.

XI. Additional increment for computerisation/Fixed Personal Allowance to employees who have joined service of the Corporation or Company after 1.11.1993 but before the date of publication of this scheme in the Official Gazette.

(1) All confirmed employees who have joined the services of the Corporation or Company after 1.11.1993 but before the date of publication of this scheme in the Official Gazette, shall be paid, with effect from the 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette, on account of computerisation, one increment in the scale of pay as may be applicable to the concerned employee on the date of publication of this scheme in the Official Gazette:

Provided that an employee who, on his first appointment in the service of the Corporation or Company, was on probation on or before the date of publication of this scheme in the Official Gazette shall be paid one increment on completion of 365 days of service after the date of confirmation:

Provided further that no such increment shall be payable to the employees joining the services of the Corporation or Company on or after the date of publication of this scheme in the Official Gazette.

(2) An employee who is in receipt of an increment on account of computerisation as per sub-paragraph (1) of this item and who subsequently reaches the maximum of the scale of pay applicable to him, shall be paid, on the expiry of a period of one year of reaching the maximum of the scale of pay, Fixed Personal Allowance equivalent to the amount of last increment in the scale of pay applicable to him on the date of publication of this scheme in the Official Gazette.

Provided that the Fixed Personal Allowance shall not qualify for payment of dearness allowance or house rent allowance:

Provided further that from out of the Fixed Personal Allowance, the amount as specified in column(2) of the table below, in respect of each scale of pay, shall rank for Provident Fund and Pension and the said amount alongwith dearness allowance thereon as on 1.11.1993 shall rank for Gratuity and encashment of earned leave.

Table

Employees in the scale of pay of	The amount from out of Fixed Personal Allowance which shall count for provident fund, etc.
(1)	(2)
	Rs.
Superintendent	230
Senior Assistant	230
Stenographer	230
Assistant, etc.	230
Record Clerk.	130
Driver	100
Subordinate Staff	100

XII. CONVEYANCE ALLOWANCE :

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette or from the date of appointment, whichever is later, every confirmed employee shall be paid Conveyance Allowance at the rate of Rs.75/- (Rupees Seventy Five) per month.

XIII. PARADEEP PORT ALLOWANCE:

With effect from the 1st day of the month following the date of publication of this scheme in the Official Gazette or date of appointment, whichever is later, every confirmed employee posted in the office of the Company in Paradeep Port shall be paid an allowance of Rs.50/-(Rupees Fifty) per month so long as he is posted in that office. This allowance shall not be treated as Basic Salary for any purpose.

XIV. TEMPORARY PERSONAL ALLOWANCE:

With effect from 1st day of August, 1997, employees in the scale of Assistant drawing a Basic Salary of Rs.8635/- or above in the modified scale, on or after 1.8.1997 but before the date of publication of this scheme in the Official Gazette, shall be paid a Temporary Personal Allowance of Rs.75/-(Rupees Seventy Five) per month, which shall not be treated as Basic Salary for any purpose and shall be withdrawn on promotion or next wage revision, whichever is earlier.

XV ONE TIME LUMPSUM PAYMENT IN LIEU OF PRODUCTIVITY LINKED LUMPSUM INCENTIVE(PLLI) :

In lieu of PLLI, employees will be paid for the period from 1.8.1997 to 31.3.1999, one time lumpsum payment of 1.67% of the Wage Bill of the General Insurance Industry for employees as on 1.8.1997 (pre-revised) .

XVI PRODUCTIVITY LINKED LUMPSUM INCENTIVE(PLLI)SCHEME :

For the period 1.4.1999 to 31.3.2002, PLLI shall be payable as per Appendix:

[F.No. 2(14) Ins.-III/97 (ix)]

AJIT M. SHARAN. Jt. Secy.

FOOT NOTE :- The Principal Scheme was published vide Notification No.S.O.326(E) dated 27.5.1974.

Subsequently amended by Notification No.S.O.472(E) dated 5th September 1975, 5415 dated 22nd December 1975, 390(E) dated 1st June 1976, 4466 dated 11th November 1976, 2443 dated 30th July

1977, 1046 dated 29th March 1978, 1049 dated 29th March 1978, 1410 dated 26th April 1978, 3429 dated 16th November 1978, 314(E) dated 12th May 1980, 729 (E) dated 21st September 1984, 769(E) dated 15th October 1985, 884(E) dated 9th December 1985, 729(E) dated 3rd October 1986, 441(E) dated 27th April 1987, 1038 (E) dated 7th December 1987, 780(E) dated 22nd August 1988, 783(E) dated 22nd August 1988, 1160(E) dated 9th December 1988, 180(E) dated 10th March 1989, 356(E) dated 12th May 1989, 405(E) dated 24th May 1990, 542(E) dated 6th July 1990, 593(E) dated 27th July1990, 754 dated 4th October 1190, 797(E) dated 25th November 1991, 909(E) dated 23rd December 1991, 83 dated 2nd February 1994, 594(E) dated 30th June 1995, 139 (E) dated 22nd February 1996, 759(E) dated 1st November 1996, 465 (E) dated 27th May, 1998, 731(E) dated 27th August, 1998 and 694(E) dated 30th August, 1999.

APPENDIX

PRODUCTIVITY LINKED LUMPSUM INCENTIVE (PLLI) SCHEME
(See Item XVI)

1. PLLI would be based on the Wage Bill of the General Insurance Industry of Company or Corporation, as the case may be, for employees as on 1.8.1997 (pre-revised).

2. **Eligibility :**

Grant of PLLI would be measured on the basis of following parameters :

a) Issue of renewal notices - pre-requisite for eligibility.

Issuance of renewal notices in time limit shall be mandatory i.e. to issue the Renewal Notices in respect of policies expiring in a particular month by the 15th of the previous month.

b) Claim settlement ratio

Claim settlement ratio means the ratio arrived at by the following formula, (rounded off to the number leaving decimals), namely :-

$$\frac{\text{Claims settled during the year}}{\text{Claims outstanding at the beginning of the year plus claims intimated during the year}} \times 100$$

c) Documentation ratio

Documentation ratio means the ratio arrived at by the following formula, (rounded off to the number leaving decimals), namely :-

$$\frac{\text{Documents issued during the year}}{\text{Documents outstanding at the beginning of the year plus documents incepted during the year}} \times 100$$

d) Control of Management Expenses Ratio (MER)

PLLI would be payable in the event the Management Expenses Ratio for the individual Company is within the limits prescribed in the Insurance Act/ Insurance Rules.

Explanation : 1. Parameters mentioned in sub-paragraph (a), (b) and (c) will be applicable for grant of PLLI as per clause (a) of Part A of paragraph 4.1;
2. Parameter (d) will be applicable for grant of PLLI as per clause (b) of Part A of paragraph 4.1

3. Parameters (Threshold level and Benchmark level of performance) :

The PLLI would depend on performance levels in defined parameters. The performance level in each of the parameters would consist of two elements (a) Threshold level and (b) Benchmark levels.

Threshold level of performance will be the actual levels of performance of the respective Companies in the preceding year.

Benchmark level shall be 1% increase over Threshold Level:
Provided that where 99% documentation is already achieved, benchmark will be fixed at 0.5% increase over threshold level recorded:
Provided further that a marginal shortfall in any of the parameters may be condoned by the Board.

Whereas the benchmark standards would be uniform for all the Companies, the levels of Performance would be evaluated on Company-wise basis for Part A and Industry as a whole for Part B of the PLLI scheme.

4. PLLI payment Scale

4.1 The PLLI payable would reckon under two parts–Part A and Part B as under :

Part (A) : On Company-wise performance basis:

PLLI upto a maximum of 2% would be payable for achievement of benchmark levels in Customer Service parameters given below and 1% PLLI would be payable in the event the Management Expenses Ratio (MER) for the individual Company is within the limits prescribed in the Insurance Act, 1938 / Insurance Rules.

Parameter	**Scale of Incentive payable**
a).**Customer Service parameters**:	
1. Renewal notice – Mandatory	Nil
2. Claims settlement	1.00%
3. Document issuance/disposal	1.00%
b)**MER parameter** 4. MER within the prescribed statutory limit	1.00%
Aggregate limit for payment of PLLI Under Part A	**3.00%**

4.1. 1 For the employees of the Corporation:

2% PLLI would be payable provided the industry average on customer service parameters conform to the benchmark prescribed above. 1% incentive would be payable if at least one Company in the industry conform to the MER parameter indicated above.

4.1.2 Payment of PLLI under Part A would be subject to Gross Profit earned by the Company for the year of performance.

4.2 Part (B) : On Industry Average Basis

PLLI upto 3% would be payable for reduction of Management Expenses ratio (MER) on the following scale:-

	Percentage reduction required in MER (on Industry Average)	Incentive payable (On pro-rata basis)
Stage I	From 21% to 19.5% (reduction upto 1.5%)	1.5%
Stage II	From 19.5% to 19% (reduction upto 0.5%)	1.00%
Stage III	For reduction in MER below 19%)	0.50%

Aggregate limit for payment of PLLI Under Part B	**3.00%**
Aggregate limit for payment of PLLI Under Part A + Part B	**6.00%**

4.2.1 Payment of PLLI under Part B would be subject to Gross Profit earned by the General Insurance Industry for the year of performance

4.3 The maximum amount of PLLI payable shall be at 6% of the wage bill as on 1.8.1997(pre-revised).

Explanation: 1: At stage I, the scale of payment of PLLI would be proportionate to reduction in MER. e.g. in case the MER is reduced by 0.5%, PLLI payable would be 0.5% of wage bill as on 1.8.1997(pre-revised).

2: At stage II, the scale of payment of PLLI would be in the ratio of 1:2 corresponding to the reduction in MER. e.g. for every 0.10% reduction in the MER below 19.5%, PLLI payable would be 0.2% of wage bill as on 1.8.1997(pre-revised).

.3. MER calculation would include PLLI paid in the year of payment.

5. Payment of PLLI :

The PLLI will be payable after the achievement of the performance with reference to the prescribed benchmark based on the audited accounts for the relevant accounting year.

The PLLI will be distributed as a lumpsum annually after 1st August each year, after the audited figures are available.

6. Suitable Monitoring and Reporting System would be devised by the Corporation or Company to measure the performance level of the Corporation or Company under each parameter. "

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Central Government has accorded approval to revise the scales of pay and conditions of service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff employees in the General Insurance Corporation of India and its four Subsidiary Companies from the dates specified in the notification. The General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and Other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 is amended accordingly with effect from these dates as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Corporation or its Subsidiary Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2000

का.आ. 590(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :—

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2000 है।

(2) इस स्कीम के उपबंध इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाए, 1 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) वह स्कीम उन कर्मचारियों को लागू होगी जो 1-8-1997 को निगम या कंपनी में पूर्णकालिक आधार पर सेवा में थे।

2. उक्त स्कीम में,

(i) पैरा 2 के खंड (त) में, उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के स्थान पर 1-8-1997 से निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ii) कर्मचारी को लागू सुव्यवस्थीकरण स्कीम के उपबंधों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करने के प्रयोजन के लिए गणना में लिए जाने की सीमा तक सभी भत्ते; और

(iii) कर्मचारी को लागू सुव्यवस्थीकरण स्कीम के उपबंधों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करने के प्रयोजन के लिए गणना में लिए जाने की सीमा तक नियत वैयक्तिक भत्ता; और सभी भत्ते";

(ii) पैरा 35 में, उपपैरा (ख) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्त:स्थापित किए किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) ऐसे कर्मचारी की बाबत जो 1-8-1997 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हो गया था या जिसकी मृत्यु हो गई थी, 1100 रु. प्रतिमास।

(घ) भविष्य में होने वाले किसी मजदूरी पुनरीक्षण की दशा में, किसी कर्मचारी को संदेय न्यूनतम पेंशन की रकम, निगम द्वारा, उस सूचकांक के तत्समान जिससे मान संबद्ध है अवधारित की जाएगी।";

(iii) परिशिष्ट IV में, पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"3(क) ऐसे कर्मचारियों की दशा में जो 1 अगस्त, 1997 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तिमाही औसत में 1740 प्वाइंट से ऊपर प्रत्येक 4 प्वाइंट के लिए महंगाई राहत, यथास्थिति, प्रत्येक बढ़ोत्तरी के लिए संदेय या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलनीय होगी। ऐसे प्रत्येक उक्त 4 प्वाइंट के लिए मंहगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी मूल पेंशन के 0.23 प्रतिशत की दर पर की जाएगी।

3(ख) भविष्य में होने वाले किसी मजदूरी पुनरीक्षण की दशा में, किसी कर्मचारी को संदेय मंहगाई राहत की दर, निगम द्वारा, उस सूचकांक के तत्समान जिससे मान संबद्ध है अवधारित की जाएगी।"

(iv) परिशिष्ट V में, उपपैरा (ग) के पश्चात् और टिप्पणों से पूर्व निम्नलिखित उपपैरा अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(घ) 1 अगस्त, 1997 को या उसके पश्चात् सेवा निवृत्त कर्मचारियों की बाबत साधरण कुटुम्ब पेंशन की दर निम्नवत् होगी:—

वेतनमान प्रतिमास	कुटुम्ब पेंशन की रकम
(1)	(2)
4,360/-रु. तक	"वेतन" का 38 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी जमा ऐसे भत्तों, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए, किन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, गणना की जाती है, का 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन का योग न्यूनतम 1,100 रु. प्रति मास होगा।
4,361 रु. से 8,700 रु. तक	"वेतन" का 20 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी जमा ऐसे भत्तों, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए किन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं गणना की जाती है, का 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन होगी। मूल और अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन का योग न्यूनतम 1,310 रु. प्रतिमास होगा।
8,701 रु. और उससे ऊपर	"वेतन" का 15 प्रतिशत मूल कुटुम्ब पेंशन होगी जमा ऐसे भत्तों, जिनकी भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए किन्तु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, गणना की जाती है, का 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन होगी। मूल और अरिक्त कुटुम्ब पेंशन का योग न्यूनतम 1,740 रु. प्रतिमास होगा।

(घ) भविष्य में होने वाले किसी मजदूरी पुनरीक्षण की दशा में, किसी कर्मचारी को संदेय कुटुम्ब पेंशन की साधारण दर, निगम द्वारा उस सूचकांक के तत्समान, जिससे मान संबद्ध है, अवधारित की जाएगी।"

[फा. सं. 2(14)/बीमा-III/97 (एक्स)]

अजीत एम. शरण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल स्कीम अधिसूचना सं. का.आ. 585 (अ), तारीख 28 जून, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

1. का.आ. 475 (अ), तारीख 3 जुलाई, 1996
2. का.आ. 342 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 1997
3. का.आ. 451 (अ), तारीख 18 जून, 1999 और
4. का आ. 1221 (अ), तारीख 6 दिसम्बर, 1999।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. साधारण बीमा उद्योग की सेवा के निबंधनों और शर्तों में पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन स्कीम, 1995 में अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से तदनुसार संशोधन करना आवश्यक हो गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से निगम या उसकी आनुषंगिक कंपनियों के किसी कर्मचारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2000

S.O. 590(E).— In exercise of the powers conferred by section 17 A of the General Insurance Business (Nationalisation)Act, 1972(57 of 1972), the Central Government hereby makes the following scheme, to further amend the General Insurance(Employees') Pension Scheme, 1995(hereinafter referred to as " the said scheme"), namely:-

1. Short title, commencement and application:

(1) This Scheme may be called the General Insurance (Employees') Pension (Amendment) Scheme, 2000.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, the provisions of this scheme shall be deemed to have come into force on the Ist day of August, 1997.

(3) This scheme shall be applicable to those employees who were in the services of the Corporation or Company on full time basis as on 1.8.97

2. In the said Scheme,

(i) In paragraph 2 , in clause (p) , for sub-clauses (ii) and (iii) the following sub-clauses shall be deemed to have been substituted with effect from 1.8.1997, namely :-

"(ii) all allowances to the extent counted for purpose of making contributions to the Provident Fund as per the provisions of Rationalisation Scheme applicable to the employee; and

(iii) fixed personal allowance to the extent counted for the purpose of making contributions to the Provident Fund as per the provisions of Rationalisation Scheme applicable to the employee; and" ;

(ii) In paragraph 35, after sub-paragraph (b), the following paragraphs shall be inserted, namely:

"(c) rupees 1,100/- per month in respect of an employee who has retired or died on or after the first day of August,1997;

(d) in case of any wage revision in future the amount of minimum pension payable to an employee shall be determined by the Corporation corresponding to the index to which the scales will be linked." ;

(iii) In Appendix IV, after paragraph 3, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

"(3A) In the case of employees who have retired or died on or after the 1st day of August,1997, the dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be , of every four points over 1740 points in the quarterly Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be at the rate of 0.23 per cent of basic pension.

(3B) In case of any wage revision in future the rate of dearness relief payable to an employee shall be determined by the Corporation corresponding to the index to which the scales will be linked." ;

(iv)In Appendix V, after sub-paragraph (c) and before the Notes, the following sub-paragraphs shall be inserted, namely:-

"(d) in respect of employees retired on or after 1st day of August,1997, the rate of ordinary family pension shall be as under:

Scale of pay per month	Amount of family pension
(1)	(2)
Upto Rs.4360	30 per cent of the 'pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of the allowances which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance shall be the additional pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.1,100/- per month
Rs.4361 to Rs.8700/-	20 per cent of the 'pay' shall be the basic family pension plus 20 per cent of the allowances which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance shall be the additional pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.1,310/- per month
Rs.8701 and above	15 per cent of the 'pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of the allowances which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance shall be the additional pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.1,740/- per month

(e) In case of any wage revision in future the rate of ordinary family pension payable to an employee shall be determined by the Corporation corresponding to the index to which the scales will be linked.".

[F. No. 2(14)/Ins.III/97(x)]

AJIT M. SHARAN, Jt. Secy.

FOOT NOTE :- The Principal Scheme was published vide Notification No.S.O.585(E) dated 28th June,1995 and subsequently amended by notification No.

1. S.O. 475((E) dated 3rd July, 1996
2. S.O. 342(E)) dated 22nd April, 1997
3. S.O. 461(E) dated 18th June 1999 and
4. S.O. 1221(E) dated 6th December,1999

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Consequent upon the revision in the terms and conditions of service of the General Insurance Industry, it has become necessary to amend the General Insurance (Employees') Pension Scheme,1995 is amended accordingly with effect from the date as specified in the notification.

2. It is certified that no employee of the Corporation or its Subsidiary Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2000